लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 5-4-91

की

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 अप्रैल, 1991 में विचारणीय विषयों की

कार्य-सूची

विषय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	1
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	7
3-	गोमती नगर रिंग रोड के दक्षिण की ओर 5.09 एकड़ भूमि का भू-उपयोग ग्रीनबेल्ट से व्यवसायिक किये जाने हेतु परिचालित प्रस्ताव ।	17
4-	नेहरू इनक्लेव योजना (ग्रुप-हाउसिंग) के अन्तर्गत यू0को0 बैंक से रू0 1200 लाख ऋण प्राप्त करने हेतु परिचालित प्रस्ताव ।	18
5-	लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट, 1991-92 के पारित होने की प्रत्याशा में भुगतान करने की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	19
6-	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा पेन्शन नियमों में किये गये संशोधन के लागू करने के सम्बन्ध में ।	20
7-	जानकीपुरम योजना के सेक्टर "एच" एक्सटेन्शन में (थाना गुडम्बा के पीछे) प्रस्तावित उच्च, मध्यम, अल्प आय वर्ग के भवनों की योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	27
8-	स्कूल भूखण्डों के आवन्टन के सम्बन्ध में ।	28
9-	4-राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज पर प्रस्तुत होटल मानचित्र के सम्बन्ध में ।	33
10-	गोमती नगर योजना में डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	34
11-	गोमती नगर योजना में सिविल अस्पताल हेतु भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में ।	35
12-	स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण एवं भारतीय जनसंख्या परियोजना के भवन हेतु 5 एकड़ भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में ।	36

क्रमशः:----

विषय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
13	लखनऊ विकास प्राधिकरण की पुरानी कामन सील के स्थान पर नई इनग्रेविंग कामन सील की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।	40
14	अनधिकृत रूप से विभाजित अविकसित क्षेत्र के भूखण्डों पर आन्तरिक व वाह्य विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	41
15	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मोटर कार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	42
16	शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड पार्ट- 2 के विन्यास मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में ।	43
17	गोमती नगर योजना में आवन्टित भूखण्ड संख्या: 2/137, विजय खण्ड की जमा अधिक धनराशि पर ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में ।	44
18	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय ।	

विषय संख्या: 1 पृष्ठ संख्या: 1 ए

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 15 दिसम्बर, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 15 दिसम्बर, 1990 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न किया जा रहा है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 15 दिसम्बर, 1990 जो

आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की

की अध्यक्षता में हुई, का

कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री रमेश चन्द्र,	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2.	श्री दिनेश राय,	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ।
3.	श्री आर० के० शर्मा,	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
4.	श्री जे० पी० भार्गव	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ० प्र०।
5.	श्रीमती विभा पुरी	विशेष सचिव, उ० प्र० शासन, वित्त विभाग।
6.	श्री एन० एस० माथुर	मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), उ० प्र०, जल निगम, लखनऊ।
7.	श्री अरूण कुमार पचौरी	मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद (आवास आयुक्त के स्थान पर)
8.	श्री एम०ए०एम० खान	विशेष आमन्त्री, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
9.	श्री एस० एम० जाफ़र	महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति :

के० के० उपाध्याय	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

विषय संख्या: 01 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 27.7.90 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 27.7.90 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

क्रमशः :- - -

विषय सं० 02	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक:27 जुलाई, 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।
निर्णय	अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।
विषय सं० 03	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं अन्य अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या ।
निर्णय :	बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रगति विवरण के अवलोकनोपरान्त निर्देश दिया गया कि : - §1§ उच्च आय वर्गीय एवं मध्यम आय वर्गीय भवनों की प्लानिंग की जानी चाहिये । §2§ विकास के कार्यों का विवरण अवश्य दिया जाया करे ।
विषय सं० 04	शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड-1 में 92 उच्च आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु हडको से रू० 151.80 लाख ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।
निर्णय	विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
विषय सं० 05	प्रियदर्शनी योजना § सीतापुर रोड पश्चिम § अर्थ-विवेचना के सम्बन्ध में ।
निर्णय	विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में उक्त विषय विस्तृत अर्थ-विवेचना के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
विषय सं० 6	जनपथ में निर्मित मुख्य भवन की बेसमेन्ट की दुकानों के विक्रय के सम्बन्ध में ।
निर्णय	विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि दरें कम किया जाना सम्भव नहीं है । यदि कोई प्रतिवेदन आता है तो उस पर निम्नांकित सदस्यों की एक उप समिति गठित की जाय जो विचार करके अपनी टिप्पणी प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी : - 1. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 2. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ । 3. कास्ट एकाउन्टेन्ट कम इकोनामिक प्लानर, ल० वि० प्रा० ।
विषय सं० 7	कैसरबाग बारादरी के आस पास की भूमि पर "कैसरबाग गृह संस्थान " एवं सड़क योजना हेतु अर्जन का प्रस्ताव ।
निर्णय	विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि इसके ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए कैसरबाग गृह संस्थान एवं सड़क योजना हेतु अर्जन का प्रस्ताव निरस्त किया जाता है ।

क्रमशः : - - -

विषय संख्या: 08	अलीगंज योजना के अन्तर्गत रैदास मन्दिर रेलवे क्रासिंग के निकट अलीगंज सब्जी मण्डी योजना के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल पर सर्वे कराकर भवनों का विवरण आदि लेकर उपाध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले लें ।
विषय संख्या: 09	वर्ष 1985 में आई बाढ़ से गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड के भवनों की फर्श क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि औचित्य के आधार पर ठेकेदार को आवंटियों से वसूल की गई धनराशि का भुगतान किया जाय ।
विषय संख्या: 10	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सुविधा समाप्त कर दी जाये परन्तु आवन्टन में वरीयता दी जाय । दिनाँक:31.3.91 तक ही पूर्व स्वीकृत प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाये ।
विषय संख्या: 11	विकास प्राधिकरण के अधिकारियों /कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरांत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
विषय संख्या: 12	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पेन्शन भुगतान के सम्बन्ध में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा किये गये संशोधन को लागू करने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
विषय संख्या: 13	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साइकिल भत्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को औचित्य के आधार पर दिसम्बर, 1990 से साइकिल भत्ता रू0 65/= प्रतिमाह की दर से दिया जाय ।
विषय संख्या: 14	कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी लागत पर भवन दिये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित पुनः रखा जाय ।
विषय संख्या: 15	आवंटित ई0 डब्लू0 एस0 भवन के स्थान पर दूसरी योजना में एल0आई0जी0 भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरांत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

क्रमशः - - - -

विषय संख्या: 16 कश्मीर से आये शरणार्थियों, विकलांगो, पिछड़ी जातियों तथा विवादाग्रस्त प्रकरणों में एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विवादाग्रस्त प्रकरणों में एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन अध्यक्ष की अनुमति से किया जाये तथा समस्त प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किये जायें ।

विषय संख्या: 17 श्री अशोक कुमार को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में आवंटित भूखण्ड संख्या: 1/123 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 18 श्रीमती मित्ता सिंह श्रीवास्तव तथा श्री बच्चा सिंह को गोमती नगर योजना के विजय खण्ड में आवंटित भूखण्ड संख्या: 2/207 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 19 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विभूति खण्ड में 10,000 वर्गफुट आवंटित भूखण्ड के बगल में पड़ी 12,000 वर्गफुट भूमि का आवंटन ।

निर्णय : विचार - विमर्श के पश्चात, प्रस्ताव वापस लिया गया ।

विषय संख्या: 20 मवैय्या स्थित ट्रस्ट भूखण्ड संख्या:363-ए/14के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचारोपरांत निर्देश दिया गया कि विस्तृत सूचना के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 21 अपोलो अस्पताल को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये : -

(1) 10.00एकड़ भूमि आवंटित की जाये ।
(2) उक्त क्षेत्रफल के अनुसार मूल्य लिया जाये ।
(3) भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकतानुसार पत्र आवास सचिव को भेज दिया जाये ।

विषय संख्या: 22 वज़ीर हसन रोड योजना का संशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरांत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या: 23 गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड का संशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव संशोधन सहित स्वीकृत किया गया।।

क्रमशः : - - -

विषय संख्या: 24	सीतापुर रोड योजना के फेज-3 के विन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
विषय संख्या: 25	महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अधीन तैयार किये गये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरांत प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि अल्प आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवनों का अनुपात मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा परीक्षण करा लिया जायेगा
विषय संख्या: 26	हायर परचेज पद्धति के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्ते ।
निर्णय :	विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इसका अध्ययन कर, सदस्य एक माह में अवगत करादें ।
अनु० वि०सं० : 1	मनीषा मन्दिर को भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि 30,000 वर्गफुट भूमि आधी दर पर आवंटित कर दी जाये ।
अनु०वि० सं० 02	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को कानपुर रोड योजना में भवन संख्या:ए 1/5 सी के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि चूँकि कार्यालय के पत्र दिनांक:6.8.88 के भेजे जाने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है तथा अनुस्मारक दो वर्ष बाद दिनांक:14.03.90 को भेजा गया है । अत: विलम्ब के लिये कार्यालय का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय ।
अनु०वि० सं० 3	श्री प्रताप सिंह पाल को कानपुर रोड योजना के सेक्टर "डी" में आवंटित भूखण्ड संख्या:डी. 23/डी. विवादग्रस्त होने के कारण ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
अनु०वि० सं० 4	मोहल्ला बरफखाना योजना के ट्रस्ट प्लाट संख्या: 6 पर पासी जागृति मण्डल को धर्मशाला निर्माण की अनुमति दिया जाना ।
निर्णय :	विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये : - " सती मन्दिर के स्थान पर धर्मशाला बनाये जाने की अनुमति दी गई, किन्तु निर्देश दिया गया कि स्वामित्व के विषय में परीक्षण करा लिया जाय ।

क्रमश: - - - -

अनु०पू० वि० सं० 05 — गोमती नगर योजना विश्वास खण्ड-3 में शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण कार्य से सम्बन्धित विचलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष पत्रावली का परीक्षण कर स्वयं निर्णय ले लें ।

अनु०वि० सं० 06 — पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — कर्मचारियों एवं अधिकारियों की इफीसियेन्सी, उनका पूरा उपयोग तथा वित्तीय भार की सूचना देते हुए लोड आफ वर्क का एक तुलनात्मक विवरण तैयार कराकर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ आयुक्त के माध्यम से भेजा जाय ।

ह०/=

§ के० के० उपाध्याय §
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

ह०/-

§ दिनेश राय §
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

ह०/-

§ रमेश चन्द्र §
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

विषय संख्या: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 1990
में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

विषय संख्या	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	2	3	4
1	ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 27-7-90 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।	नोट किया गया ।
2	ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 27-7-90 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।	नोट किया गया ।
3	बीस सूत्रीय एवं अन्य अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या ।	निर्णय लिया गया कि उच्च आय एवं मध्यम आय वर्गीय भावनों की प्लानिंग की जाये। विकास कार्यों का विवरण अवश्य दिया जाया करे ।	प्रगति आख्या अलग से प्रस्तुत की जा रही है ।
4	शारदा नगर योजना के रुचि खाण्ड-1 में 92 उच्च आय वर्ग के भावनों के निर्माण हेतु हडको से रू0 151.80 लाख ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	योजना हडको को प्रेषित कर दी गई है ।

क्रमश:——

1	2	3	4
5.	प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड पश्चिम) अर्थ-विवेचना के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि विस्तृत अर्थ-विवेचना के साथ प्रस्तुत किया जाये ।	निर्णय में संशोधन किया जाना है ।
6.	जनपथ में निर्मित मुख्य भवन की बेसमेन्ट की दुकानों के विक्रय के सम्बन्ध में ।	इस हेतु एक उपसमिति गठित की गई जिसमें मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, सचिव एवं कास्ट एका० सदस्य हैं ।	अपरिहार्य कारणों वश बैठक अभी नहीं हो सकी है । यथा-शीघ्र बैठक की जायेगी ।
7	कैसरबाग़ बारादरी के आस पास की भूमि पर "कैसरबाग़ गृह संस्थान एवं सड़क योजना हेतु अर्जन का प्रस्ताव ।	अर्जन का प्रस्ताव निरस्त किया गया ।	निर्णय नोट किया गया । तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
8	अलीगंज योजना के अन्तर्गत रैदास मन्दिर रेलवे क्रासिंग के निकट अलीगंज सब्जी मण्डी योजना के सम्बन्ध में ।	स्थल पर सर्वे कराकर भवनों का विवरण लेकर उपाध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले लें ।	सर्वे का कार्य कराया जा रहा है ।

क्रमश:-----

1 क्र	2	3	4
9	वर्षा 85 में आई बाढ़ से गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड के भवनों की वर्षा क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि औचित्य के आधार पर ठेकेदार को आवन्टियों से वसूल की गई धनराशि का भुगतान किया जाय ।	भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।
10	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि सुविधा समाप्त कर दी जाये परन्तु आवन्टन में वरीयता दी जाय । 31-3-91 तक ही पूर्व स्वीकृत प्रा0पत्रों पर विचार किया जाये ।	निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
11	विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	निर्णयानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है ।

क्रमशः:——

1	2	3	4
12	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पेन्शन भुगतान के सम्बन्ध में नगर महापालिका लखनऊ द्वारा किये गये संशोधन को लागू करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।	प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साइकिल भत्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि दिसम्बर, 1990 से साइकिल भत्ता रु0 65/- प्रतिमाह की दर से दिया जाये ।	निर्णयानुसार रु0 65/- प्रतिमाह की दर से साइकिल भत्ता दिया जा रहा है ।
14	कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी लागत पर भवन दिये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित पुनः रखा जाय ।	पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

1	2	3	4
15	आवन्टित ई0डब्लू0एस0 भवन के स्थान पर दूसरी योजना में एल0आई0जी0 भवन आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	निर्णयानुसार भवनों का परिवर्तन किया जा रहा है ।
16	कश्मीर से आये शरणार्थियों विकलांगों, पिछड़ी जातियों तथा विवादग्रस्त प्रकरणों में एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन की अनुमति ।	परिवर्तन अध्यक्ष की अनुमति से किया जाये तथा समस्त प्रकरण आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किये जायें ।	शरणार्थियों के प्रतिनिधियों से वार्ता की गई । उनके द्वारा अभी प्रार्थनापत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है । प्रा0पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
17	श्री अशोक कुमार को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में आवन्टित भूखण्ड संख्या: 1/123 पर लगाये गये दण्ड-ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।	नोट किया गया । पक्ष को सूचित कर दिया गया है ।

क्रमशः:-----

1	2	3	4
18	श्रीमती मित्ता सिंह तथा श्री बच्चा सिंह को गो0न0 विजय खण्ड में आवन्टित भू0सं0:2/207 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।	निर्णय नोट किया गया तथा पक्ष को सूचित कर दिया गया है ।
19	गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विभूति खण्ड में 10,000 वर्गफुट आवन्टित भूखण्ड के बगल में पड़ी 12,000 वर्गफुट भूमि का आवन्टन ।	विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव वापस लिया गया ।	नोट किया गया ।
20	मवैया स्थित ट्रस्ट भूखण्ड संख्या: 363-ए/14 के सम्बन्ध में ।	विस्तृत सूचना के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	आगामी बैठक में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत किया जायेगा ।

1	2	3	4
21	अपोलो अस्पताल को गोमती नगर योजना में विपिन खण्ड में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि 10.00 एकड़ भूमि आवन्टित की जाये। क्षेत्रफल के अनुसार मूल्य लिया जाये। भू-उप0 परिवर्तन हेतु आवास सचिव को पत्र भेजा जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गई । मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक ने संशोधन की अपेक्षा की है ।
22	वज़ीर हसन रोड योजना का संशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	संशोधित अभिन्यास मानचित्र के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।
23	गो0नगर योजना के विशाल खण्ड का संशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव संशोधन सहित स्वीकृत किया गया ।	संशोधित अभिन्यास चित्र के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।
24	सीतापुर रोड योजना के फेज़-3 के विन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	स्वीकृत विन्यास मानचित्र के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमशः------

1	2	3	4
25	महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अधीन तैयार किये गये मार्ग दर्शक सिध्दान्तों के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि अल्प आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवनों का अनुपात मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व्दारा परीक्षण करा लिया जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
26	हायर परचेज़ पध्दति के अन्तर्गत आवन्टित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तें ।	निर्णय लिया गया कि इसका अध्ययन कर, सदस्य एक माह में अवगत करा दें ।	माननीय सदस्यों व्दारा अभी अध्ययन किया जा रहा है । अभी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है ।
अनु0 विषय संख्या: 1	मनीषा मन्दिर को भूमि आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि 30,000 वर्गफुट भूमि आधी दर पर आवन्टित कर दी जाय ।	निर्णयानुसार गोमती नगर योजना के प्रथम चरण में विराम खण्ड में सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत 2791.8 व0मी0 (30,050.90 व0फु0) भूमि मनीषा मन्दिर को आवन्टित कर दी गई है ।

1	2	3	4
अनु0 वि0 संख्या: 2	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को कानपुर रोड योजना में भवन स0:ए-1/5 सी के विरुद्ध दण्ड ब्यांज माफ़ किये जाने के सम्बन्धा में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। अनुस्मारक दो वर्ष बाद भेजने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने का निर्देश दिये गये ।	दण्ड ब्याज में छूट प्रदान कर भवन का कब्ज़ा 10.1.91 को दे दिया गया है । उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
अनु0 वि0 संख्या: 3	श्री प्रताप सिंह पाल को कानपुर रोड यो0 के सेक्टर डी में आवन्टित भूखण्ड स0:डी-23/डी, विवादग्रस्त होने के कारण ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्धा में ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है ।
अनु0 वि0 संख्या: 4	मोहल्ला बरफ़खाना योजना के ट्रस्ट प्लाट स0:6 पर पार्टी जागृत मण्डल को धर्मशाला निर्माण की अनुमति दिया जाना ।	सती मन्दिर के स्थान पर धर्मशाला बनाये जाने की अनुमति दी गई, निर्देश दिये गये कि स्वामित्व के विषय में परीक्षण करा लिया जाये ।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है । स्वामित्व के सम्बन्धा में परीक्षण किया जा रहा है ।

क्रमशः:------

1	2	3	4
अनु0वि0 संख्या:5	गोमती नगर योजना विश्वास खाण्ड-3 में शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण कार्य से सम्बन्धित विचलन की स्वीकृति ।	निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष पत्रावली का परीक्षण कर स्वयं निर्णय ले लें ।	कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है । विचलन स्वीकृत कर दिया गया है ।
अनु0वि0 संख्या:6	पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।	कर्मचारियों एवं अधिकारियों की इफीसियेन्सी, उनका पूरा उपयोग एवं वित्तीय भार की सूचना देते हुए लोड आफ़ वर्क्स का एक तुलनात्मक विवरण तैयार कराकर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ आयुक्त के माध्यम से भेजा जाय ।	विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

विषय: गोमती नगर रिंग रोड के दक्षिण की ओर 5.09एकड़ भूमि का भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट से व्यवसायिक किये जाने हेतु परिचालित प्रस्ताव ।

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत रिंग रोड के दक्षिण की ओर लखनऊ महायोजना के (2001) के अन्तर्गत लगभग 33.6 एकड़ भूमि व्यवसायिक तथा इस भूमि के पूरब की ओर तथा कुकरैल नाले के बीच लगभग 32.3 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित है । इस व्यवसायिक भूमि में से कुछ भूमि व्यवसायिक कार्य हेतु आवंटित की जा चुकी है तथा अवशेष भूमि ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित की गयी है । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, सिडबी तथा नवार्ड को लगभग 6 एकड़, 2 एकड़ तथा 1.5 एकड़ भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा नवार्ड हेतु जो भूमि आवंटित की गयी है उसका भू-उपयोग महा योजना 2001 के अन्तर्गत व्यवसायिक है, लेकिन सिडबी को दिये जाने वाली भूमि का भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया है । इस प्रसंग में कुल क्षेत्र का अभिन्यास चित्र तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत महायोजना के अनुरूप छोड़ी गयी ग्रीन बेल्ट 32.03 के स्थान पर अब 26.94 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट हेतु उपलब्ध है अर्थात लगभग 5.09एकड़ अतिरिक्त भूमि का उपयोग ग्रीन बेल्ट से व्यवसायिक हेतु प्रस्तावित है । इस अतिरिक्त भूमि को गोमती नगर (फेज-2) योजना के अन्तर्गत समायोजित कर दिया जायेगा । प्रश्नगत विषय पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से भी विचार-विमर्श किया जा चुका है तथा उनकी सहमति भी प्राप्त कर ली गई है । अत: यह विषय विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के समक्ष सरकुलेशन द्वारा 5.09एकड़ भूमि का भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट से व्यवसायिक परिवर्तन किये जाने हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

उपरोक्त प्रस्ताव परिचालन द्वारा माननीय सदस्यों से पारित कराया जा चुका है । प्राधिकरण कृपया प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।

-:-:-:-:-:-:-

विषय : नेहरु इन्कलेव योजना (ग्रुप-हाउसिंग) के अर्न्तगत यूको बैंक से रु० 1200 लाख ऋण प्राप्त करने हेतु परियालित प्रस्ताव ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा गोमती नगर योजना के नेहरु इन्कलेव ग्रुप-हाउसिंग योजना का क्रियान्यवन किया जा रहा है जिसके अर्न्तगत 4 मन्जिले फ्लैट निर्मित किये जा रहे हैं । इस योजना के अर्न्तगत 25.60 एकड़ भूमि पर 630 फ्लैट का निर्माण प्रस्तावित है, योजना के वित्त पोषाण हेतु अन्य एजेन्सियों के साथ-साथ यूको बैंक हज़रतगंज, लखनऊ ने रु० 12.00 करोड़ के टर्म लोन देने की सहमति प्रदान कर दी है, ऋण की ब्याज दर 16 प्रतिशत वार्षिक, 40 प्रतिशत मार्जिन के सहित होगी, ऋण का प्रतिदान 15 वर्षों में होगा। ऋण प्राप्त करने के लिये अन्य प्रपत्रों के साथ-साथ शासन की गारन्टी की भी आवश्यकता है, शासन को निर्धारित प्रपत्र पर गारन्टी हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । प्राधिकरण का संकल्प प्रेषित किया जाना है । अतः यह अनुरोध है कि प्राधिकरण कृपया यूको बैंक से रु० 1200 लाख के ऋण की प्राप्ति उपरॉकित टर्मस पर प्राप्त करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

स्वीकृतार्थ प्रेषित ।

उपरोक्त प्रस्ताव परियालन व्दारा माननीय सदस्यों से पारित कराया जा चुका है । प्राधिकरण कृपया प्रस्ताव की औपयारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट 1991-92 के पारित होने की प्रत्याशा में भुगतान करने की अनुमति ।

आख्या : लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट 1991-92 अभी पूर्णतया: तैयार नहीं हो सका, क्योंकि यह बजट प्रमुख योजनाओं तथा प्रोग्राम ओरिएण्टेड रूप में विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, के पैटर्न पर बनाया जा रहा है । बजट मार्च 1991 में प्रस्तुत न किये जाने के कारण आवर्तक व्यय करने में कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना है, जो प्राधिकरण के हित में नहीं प्रतीत होता है ।

अत: प्राधिकरण से अनुरोध है कि आवर्तक व्यय जिनमें वेतन, दैनिक वेतन कर्मचारियों का वेतन, पूर्व वर्ष का दायित्व तथा जनता के रिफण्ड सम्मिलित हैं, किये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें । पूर्व वर्षों में बजट प्रस्तुत करने के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय से स्वीकृति से मूल बजट की प्रत्याशा में व्यय करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाती थी, परन्तु प्रश्नगत वर्ष 1991-92 का बजट अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है । अत: बजट की प्रत्याशा में व्यय करने हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति आपेक्षित है ।

-=-=-=-=-=-

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा पेन्शन नियमों में किये गये संशोधन के लागू करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त प्राधिकरण के कर्मचारियों पर लखनऊ नगर महापालिका के कर्मचारी पेन्शन विनियम 1962 लागू किये गये थे, जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण के कर्मचारियों की पेन्शन तथा सामान्य भविष्य निधि का संचालन इसी आधार पर किया जाता है । पेन्शन विनियम में यदि महापालिका द्वारा कोई संशोधन किये जाते हैं, तो उनको प्राधिकरण में अंगीकृत किया जाना चाहिये ।

शासन नें वित्त सामान्य अनुभाग-3-1168X10-935-87 दिनाँक: 22.7.87 द्वारा 1.1.86 से पेन्शन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण किया था, इस राजाज्ञा को लखनऊ नगर महापालिका द्वारा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश 3 अक्टूबर 1987 द्वारा नगर महापालिका पेन्शन विनियम के आंशिक संशोधन करके शासनादेश के अनुसार पेन्शन का लाभ अनुमन्य करने, शासन पद्धति से पेन्शन की गणना, राहत की अनुमन्यता के अंगीकृत करके लागू किया । शासनादेश तथा सरकारी गजट की फोटो प्रति सूचना तथा अवलोकनार्थ संलग्न है ।

नगर महापालिका द्वारा किये गये आंशिक संशोधन को प्राधिकरण में भी लागू करने तथा संशोधन को अनुमोदित करने के आदेश प्रार्थनीय हैं , क्यों कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में लखनऊ नगर महापालिका की पेन्शन नियमावली पहले से ही लागू है । साथ ही साथ दिनाँक: 1.1.86 के नये वेतनमान के लागू हो जाने के उपरान्त यह संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पेन्शन भुगतान के सम्बन्ध में नगर महापालिका लखनऊ द्वारा किये गये संशोधन को लागू करने के सम्बन्ध में उक्त आख्या लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 15.12.90 में विषय संख्या: 12 पर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । किन्तु उक्त बैठक में यह प्रस्ताव वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया था , चूँकि पेन्शनर लोग महापालिका के पेन्शनरों की भांति उन्हें भी उक्त सुविधा प्रदान किये जाने हेतु बार-बार अनुरोध कर रहे हैं, जो कि उचित प्रतीत होता है । अत: विषय वस्तु पुन: प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।

-=-=-=-=-=-

रजिस्टर्ड नं. ए0डी0-4

लाइसेन्स सं0 डब्लू0 पी0 - 41

{लाइसन्स्डटू पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट}

सील

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 3 अक्टूबर, 1987 ई0 {आश्वन 11, 1909शक संवत}

भाग-8

नगर महापालिका, लखनऊ पेंशन विनियम {आंशिक संशोधन}

:- सूचना -:

प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के रूप में मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अशोक कुमार, महापालिका एवं कार्यकारिणी समिति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित संकल्प सं02135दिनाँक:12अगस्त, 1987 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 की यथा संशोधित धारा 548के उपधारा{1}{च} के अधीन लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी पेंशन विनियम, 1962 केअन्तर्गत वर्तमान संशोधित विनयम 30अगस्त, 1986 के क्रम में निम्नलिखित संशोधन की स्वीकृति जैसा कि धारा-548 की उपधारा 3 में प्राविधानित है प्रदान करते हुए शासकीय गजट में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित करता हूँ जो दिनाँक:1 जनवरी, 1986 से प्रभावी होंगे।

1. पेंशन-लखनऊ नगर महापालिका मेंप्रभावी पेंशन विनियम 1962 के तहत दिनाँक:21दिस0, 1985 एवं 30 अगस्त, 1986 के तारतम्य में राजकीय कर्मचारियों पर प्रभावी शासनादेश संख्या:3-1168/दस-935-87दिनाँक: 22जून, 1987 के तहत महापालिका लखनऊ अपने पेंशनरों की जो दिनाँक:1 जनवरी 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवा-निवृत्त मृत हो, को उक्त शासनादेश के अनुसार पेंशन का लाभ अनुमन्य करती है। उक्त तिथि के पूर्व सेवा निवृत्त/मृत सेवकों के सम्बन्ध में प्रस्तर 2-1 के अनुसार भविष्य में निर्गत शासनादेशों के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। महापालिका पद्धति से पेंशन की गणना पूर्व प्रक्रियानुसार की जावेगी। शासन पद्धति से पेंशन की गणना राहत की अनुमन्यता के लिये उक्त शासनादेश के प्रस्तर3-1 व 3-2 में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी। शासनादेश के प्रस्तर 4-1 व 4-2 के अन्तर्गत किये गये प्राविधान दिनाँक:1जनवरी, 1986 से लागू माने जायेंगे।

क्रमशः:———

2. सेवा निवृत्त एवं मृत ग्रेच्युटह -महापालिका पेंशन विनियम संख्या:7 में सेवा निवृत्त एवं मृत ग्रेच्युटी का प्राविधान है । शासनादेश संख्या: वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 -1168/दस-935-87दिनाँक:22जून,1987 के पैरा 6-1 में 8 से दो भागों में विभाजित कर दिया गया है -

(1) सेवा-निवृत्तग्रेच्युटी -यह केवल उन्हीं कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो । सेवा-निवृत्त ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के1/4 के बराबर होगी तथा जिसका अधिकतम परिलब्धियों के 16 1/2 गुने के बराबर होगा। अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह होगा कि रिवायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि रुपया एक लाख से अधिक नहीं होगी । रिटायरमेन्टी ग्रेच्युटी के आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

नोट:- पेंशन विनियम 7 के बाद नया पेंशन विनियम7(अ) निम्नवत् जोड़ा जाय:-

(2) सेवारत मृत ग्रेच्युटी -सेवा में रहते मृत्यु हो जाने की दिशा में सेवारत रत मृत्यु ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी, जिसकी दरें निम्नवत् होंगी : -

	सेवा अवधि	सेवारत मृत ग्रेच्युटी
1.	दो वर्ष तक	परिलब्धियों का 2 गुना ।
2.	दो वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6 गुना ।
3.	5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना ।
4.	20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33गुने के बराबर होगी, अग्रेत्तर प्रतिबंध यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशा में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी ।

आगणन योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी म इस प्रकार पेंशन विनियम 7 के समस्त उप विनियम एतद्द्वारा संशोधित माने जायेंगे ।

महापालिका पेंशन विनियम 9(2)(ख) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाय : -

(2) पारिवारिक पेंशन -

पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत् होगी । इन दरों में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ते को सम्मिलित कर लिया गया है : -

	मूल वेतन प्रतिमाह	पारिवारिक पेंशन की मासिक दरें जिसमें 608मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ता सम्मिलित कर लिया गया है ।
1.	रुपया 1,500से अनधिक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत
2.	रुपया 1,500से अधिक किन्तु रुपया3,000सेअनधिक	मूल वेतन का 20प्रतिशत जिसका न्यूनतम रुपया 450 प्रतिमाह होगा ।
3.	रुपये 3000 से अधिक	मूल वेतन का 15प्रतिशत जिसका न्यूनतम रुपया 600 तथा अधिकतम रुपया1250होगा।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर 8-1 व 8-2 के प्राविधान यथावत् लागू माने जायेंगे ।

अशोक कुमार
प्रशासक

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या:सा-3-1168/दस-935-87
लखनऊ, दिनाँक: 22 जून, 1987

कार्यालय ज्ञाप

विषय : 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों को पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य पाल महोदय ने दिनाँक:1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों तथा सेवारत मृत्यु हो जाने वाले सरकारी सेवकों के परिवारों के लिये पेंशन /पारिवारिक पेंशन के आगणन की प्रक्रिया तथा दरों में निम्न संशोधन किये हैं :-

लागू करने की तिथि

2-1 यह आदेश उन सरकारी सेवकों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सम्बंध में लागू होंगे जो 1.1.86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु 1.1.86 अथवा उसके उपरान्त हुई हो । जो सरकारी सेवक 1.1.86 के पूर्व सेवा निवृत्त ,मृत हो चुके थे उनके सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

2.2.--1.1.86 के बाद सेवा निवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के जिन मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशने निर्धारित की जा चुकी हैं उन्हें इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया जायेगा ।

परिलब्धियाँ

3.1 इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत पेंशनरों एवं मृत्यु सम्बन्धी समस्त लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों में महंगाई के 608 मूल्य सूचकांक के बाराबर महंगाई भत्ता जो शासनादेश संख्या:वे.आ.715/दस66एम(-1982, दिनाँक:1-4-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था को भी सम्मिलित किया जायेगा । साथ हीशासनादेश संख्या: वे.आ.312/दस-7(एम(84दिनाँक:6.2,1985 संख्या वे0आ0 1-2425/दस-7(एम(84 दिनाँक: 15.10.1985 तथा संख्या:वे0आ01-742/दस-एम-84दिनाँक/ 1.4.86 के अन्तर्गत स्वीकृत तदर्थ महंगाई भत्ते को भी यथास्थिति सम्मिलित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त पेंशन के आगणन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनाँक: 1.1.86 के उपरांत स्वीकृत अन्तरिम सहायता की किश्तों को भी सम्मिलित किया जायेगा । औसत परिलब्धियों के आगणन हेतु महंगाई भत्ते/तदर्थ महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता का आगणन सेवा निवृत्त के पीछे के दस मासों के औसत के आधार पर किया जायेगा ।

4.1 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिये आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी ।

4.2.-पेंशन का आगणन 1.1.86के पूर्व लागू स्लैब सिस्टम के बजाय औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा और उसका अधिकतम 4,500रु0 होगा ।

क्रमश : - - - -

अतिरिक्त पेंशन के आधार पर राशिकरण

5.1—इन आदेशों के अन्तर्गत किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यदि पेंशन में वृद्धि हुई हो तो उस वृद्धि के एक तिहाई के आधार पर राशिकरण भी पुनरीक्षित की जा सकती है और अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जासकता है।

डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी

6.1—वर्तमान अनुमन्य डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के स्थान पर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के अलग-अलग प्राविधान किये जाते हैं। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के ≥ 1/4 के बराबर होगह तथा जिसका अधिकतम परिलब्धियों के 16 1/2गुने के बराबर होगा. अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि रुपया एकलाख से अधिक नहीं होगी। रिटायर्मेन्ट ग्रेच्युटी के आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी।

6.2—सेवारत मृत्यु होने की दशा में डेथ ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दरें निम्नवत् होंगी : -

	सेवा अवधि	डेथ ग्रेच्युटी की दर
1—	एक वर्ष से सकम	परिलब्धियों का दो गुना।
2.	एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6 गुना।
3—	5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना।
4—	20 वर्ष से अथवा उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम अहरित परिलब्धियों के 33गुने के बराबर होगी, अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशा में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

आगणन योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत् होंगी। इन दरों में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते को सम्मिलित कर लिया गया है : -

	मूल वेतन प्रतिमाह	पारिवारिक पेंशन की मासिक दर जिसमें 608मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता सम्मिलित कर लिया गया है।
1—	1,500 रुपये से अनधिक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत।
2—	1,500 रुपये से अधिक किन्तु 3000रुपये से अनधिक	मूल वेतन का 20 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 450रुपये प्रतिमाह होगा।
3—	3,000 रुपये से अधिक	मूल वेतन का 15प्रतिशत जिसका न्यूनतम 600 रु० तथा अधिकतम1,250 रुपये होगा

दिनाँक:1.1.86 तथा वर्तमान तिथि के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

8.1 — भारत सरकार द्वारा अपने सेवकों के सम्बन्ध में दिनांक:1.1.86 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये गये हैं । राज्य सरकार द्वारा अपने सेवकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु एक वेतन समिति का गठन किया गया है जिसकी सिफारिशें अभी अपेक्षित हैं । अत: उपरोक्त अवधि में सेवा निवृत्त पेंशनरों की पेंशनों के नये वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी । तदुपरान्त उपरोक्त अवधि में सेवा निवृत्त सभी सरकारी सेवकों को यह विकल्प उपलब्ध कराया जाना होगा कि वे पुराने वेतनमानों के तथा पेंशन के आगणन की तत्समय उपलब्ध

8.2 — इस अवधि के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार पेंशनरी लाभों का पुनरीक्षण सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा । यदि कोई पेंशनर उपरोक्त प्रस्तर 8.1 में उल्लिखित वेतन समिति की सिफारिशों पर वेतनमानों के पुनरीक्षण के पूर्व ही अपनी पेंशन पुनरीक्षित करवाना चाहता है तो उसे यह छूट होगी कि वह अपना प्रार्थना पत्र उसके पूर्व ही सम्बन्धित पेंशन स्वीकृति कर्ता अधिकारी को भेज दें । पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रार्थना पत्र का प्रारूप भी संलग्न है ।

9.1 — उपरोक्त आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा निगमों आदि के सेवकों पर स्वत: लागू नहीं समझे जायेंगे । उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा ।

बी0 के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव, वित्त ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या: सा-3-1168(1)/दस-935-87, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

1. महालेखाकार (द्वितीय लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3. विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय ।
4- राज्यपाल सचिवालय ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ ।
8- श्री डी0पी0 मेहरोत्रा, अध्यक्ष, आल इण्डिया आर्गनाइजेशन आफ पेंशनर्स परिषद, 343, राजेन्द्र नगर, पांचवा मार्ग, लखनऊ ।
9- श्री पी0सी0 [illegible] भाटिया, प्रेसीडेन्ट फेडरेशन आफ यू.पी. पेंशनर्स एसोसियेशन, 3-सी9, पार्क रोड, लखनऊ ।
10. श्री एस.पी. पचौरी, यू.पी. राजकीय सिविल पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन माडल हाउस, लखनऊ ।

क्रमश: ——

11. श्री एम.पी. श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेट्री, गवर्नमेन्ट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन, माडल हाउस, लखनऊ ।
12. श्री एल.एन. गुप्ता, अध्यक्ष, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, डी. 62पांडुरथ वाडी, ए०बी० नायर रोड जुहू, बम्बई—500049।

आज्ञा से,

वेद प्रकाश अग्रवाल
संयुक्त सचिव ।

शासनादेश संख्या: .... दिनाँक: ....

के अन्तर्गत पेंशनर्स पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र

सेवा में,

..............(महालेखाकार अथवा मुख्य लेखाधिकारी
.... का पद नाम एवं पूरा पता)
....

1. प्रार्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. सेवा निवृत्त के समय धारित पद
4. कार्यालय/विभाग का पूरा नाम एवं पता जहाँ से सेवा निवृत्त हुए ।
5. पी० पी० ओ० संख्या
6. स्वीकृत पेंशन की धनराशि —
   (1) राशिकरण के पूर्व..........................
   (2)-राशिकरण के बाद.......................
7. कोषागार जहां से पेंशन आहरित होती है—
8. पेंशनर की मृत्यु हो जाने की दशा में जीवन कालीन अवशेष पाने वाले का नाम तथा पता
9. क्या अतिरिक्त पेंशन का राशिकरण चाहते है:-

भवदीय,

....
(पेंशनर का पूरा नाम एवं पता)

दिनाँक:..............

विषय संख्या: 7 पृष्ठ संख्या: 27

विषय : जानकीपुरम योजना के सेक्टर "एच" एक्सटेन्शन में ﴾ थाना गुडम्बा के पीछे ﴿ प्रस्तावित उच्च, मध्यम, अल्प एवं दुर्बल आय वर्ग के भवनों का संक्षिप्त देते हुए योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

योजना का संछिप्त विवरण :

क्र०सं०	भवनों की श्रेणी	भवनों की संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भवन की एकमोडेशन
1-	उच्च आय वर्ग	32	200 वर्गमी०	ड्राइंग कम डायनिंग रूम, बेडरूम, टायलेट किचेन ।
2-	मध्यम आ वर्ग	60	128 वर्गमी०	ड्राइंग कम डायनिंग रूम, बेडरूम, किचेन, टायलेट
3-	अल्प आय वर्ग ﴾4×13 मी०भूखाण्ड साइज़﴿	120	52 वर्गमी०	एक कमरा, किचेन, एक डब्लू०सी०, बाथरूम ।
4-	अल्प आय वर्ग ﴾3.23×12 मी०भूखाण्ड साइज़﴿	49	38.76वर्गमी०	एक कमरा, एक किचेन एक बाथरूम, भविष्य हेतु प्रस्तावित कमरा एक डब्लू०सी०
5-	दुर्बल आय वर्ग	288	30 वर्गमी०	एक कमरा, एक किचेन एक डब्लू०सी० ओपेन बाथ, भविष्य हेतु प्रस्तावित एक कमरा ।

उपरोक्तानुसार भवनों का बनना प्रस्तावित है । इन सभी भवनों का निर्माण हडको संस्था से वित्तीय पोषित की जायेगी । इस सम्बन्ध में हडको को योजना स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है तथा योजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है । इन भवनों के बनने से दुर्बल आय वर्गीय व्यक्तियों को लाभ होगा । यह स्कीम स्पोर्ट कालेज एवं स्पेस सेन्टर के मध्य में स्थित है । जनता की मॉग को देखते हुए भवनों का बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 8 पृष्ठ संख्या: 28

विषय : स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में ।

आख्या : विकास प्राधिकरण द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं को शैक्षिक, धमर्थि एवं अस्पताल चलाने हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या: 3018/11-5-89-607डी0ए0/89, दिनाँक: 5.7.89 निर्गत किया गया था । इस शासनादेश की प्रति संलग्न है ।

2. उपरोक्त शासनादेश के अनुसार स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक: 20.03.91 को हुई थी । उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है ।

3. उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण (बोर्ड) की भी संस्तुति आवश्यक है । इसके पश्चात विषय औपचारिक स्वीकृति हेतु शासन को भेज दिया जायेगा ।

प्राधिकरण कृपया समिति की संस्तुति पर विचार करके निर्णय लेने का कष्ट करें ।

संख्या:3018/11-5-89-607डी.ए./89

प्रेषक,

कर्नैल सिंह,
सचिव,
आवास विभाग ।

सेवा में,

1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

2- आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनाँक: 5 जुलाई, 1989

विषय: उ0प्र0 आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा व्यक्तियों /संस्थाओं को शैक्षिक , धमर्थि अथवा अस्पताल चलाने हेतु भूमि का आवंटन ।

महोदय,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्राधिकरणों के समक्ष संस्थाओं /व्यक्तियों को शैक्षिक उपयोगार्थ ,धमर्थि अथवा अस्पताल चलाने हेतु भूमि के आवंटन के प्रस्ताव आते रहते हैं ~~म~~ इस सम्बन्ध में शासन की कोई नीति निर्धारित न होने के कारण इस बात की सम्भावना बनी रहती है कि जो संस्था वास्तव में अच्छा कार्य कर रही है और जिसका सहायता की जरूरत है उसकी आवश्यकता पर तो विचार न किया जाये और अन्य संस्था भूमि आवंटन में सफल हो जाय ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि किसी व्यक्ति/संस्था की सार्वजनिक कार्यों के लिये जिसमें शैक्षिक उपयोग अस्पताल खोलना तथा धमर्थि संस्था आदि खोलना सम्मिलित है, को भूमि आवंटन के लिये निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है : -

(1)- किसी व्यक्ति या संस्था से सार्वजनिक कार्य के लिये , जिसमें शैक्षिक उपयोग ,अस्पताल खोलना तथा धमर्थि संस्था आदि खोलना सम्मिलित है, भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना करें तो सम्बन्धित

क्रमश: ——

निकाय द्वारा इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाये, जिसमें सम्बन्धित विभाग के स्थानीय उच्चाधिकारियों को भी अवश्य रखा जाय। उदाहरणार्थ यदि शैक्षिक उपयोग के लिये भूमि मांगी जाती है तो शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारी और यदि अस्पताल के लिये मांग की जाती है तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के स्थानीय उच्च अधिकारी इस समिति में शामिल किये जायें। यह समिति सम्बन्धित संस्था जिसके द्वारा भूमि की मांग की जा रही है, के बारे में गहन जानकारी करेगी और उस संस्था को भूमि संबंधी मांग का आंकलन कर अपनी आख्या आवास विकास परिषद / प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

(2) समिति से प्राप्त आख्या आवास विकास परिषद/ विकास प्राधिकरण की बैठक के समक्ष रखी जाय और यदि विकास प्राधिकरण /आवास विकास परिषद द्वारा प्रस्ताव का औचित्य पाया जाता है तो पारित प्रस्ताव को अपनी संस्तुति सहित शासन को भेजा जाय।

(3)– आवास एवं विकास परिषद / विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही सम्बन्धित संस्था को भूमि आवंटित की जाये।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित किये जाने सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0/

(कर्नैल सिंह)
सचिव
आवास विभाग

दिनांक: 5.1.91 को स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति

1. श्री दिनेश राय,
   उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 — अध्यक्ष समिति

2. श्री के0 के0 उपाध्याय,
   सचिव, लखनऊ वि0प्रा0 — सदस्य समिति

3. श्री के0 बी0 सक्सेना,
   का0एवं0एवं इको0ल0प्रा0 — सदस्य समिति

4. श्री रमेश चन्द्र मिश्र,
   सह जिला विद्यालय निरीक्षक — सदस्य समिति

अन्य उपस्थिति

1. श्री भूपेन्द्र सिंह,
   अति0 सचिव,

2. श्री जी0 बी0 सिंह,
   मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक,

2: स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये : —

विद्यालय का नाम	योजना का नाम	भूमि की मात्रा
1. मेजर आर0एस0 त्रिपाठी, विद्यालय	गोमती नगर विशाल खण्ड	3017.85 वर्गमी0
2. उदय मान्टेसरी स्कूल	सीतापुर रोड सेक्टर "सी"	2475.00वर्गमी0
3. आर्किटस किन्डरगार्डेन स्कूल ।	गोमती नगर विराम खण्ड-2	3938.75 वर्गमी0
4. अभिनव शिक्षा समिति	रायबरेली रोड रुचि खण्ड-1	13130.00वर्गमी0

3: कृष्णा देवी गर्ल्स इण्टरमीडिएट कालिज इण्टर तक शिक्षा दे रहा है तथा मान्यता प्राप्त है । इस विद्यालय ने ढाई बीघा भूमि कानपुर रोड योजना में लेने हेतु आवेदन किया । चूँकि इण्टरमीडिएट कालेज के लिये कम से कम 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, जैसा कि मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक ने बताया । अतः का0एवं0 एवं इको0 ल0प्रा0 को अधिकृत किया गया कि वह इस सम्बन्ध में में उपरोक्त स्कूल से जानकारी कर लें और कानपुर रोड अथवा रायबरेली रोड योजना में भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही करें ।

क्रमशः ————

4: दिनांक:22जन01990 को समिति की बैठक में अमर पब्लिक स्कूल को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्णय लिया गया था तदनुसार उपरोक्त स्कूल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद का मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिखाया गया, जो समिति द्वारा अवलोकित किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि उक्त स्कूल को रायबरेली रोड योजना के रश्मि खण्ड में 2968.00वर्गमी0 भूमि आवंटित की जाये।

5: लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड डेवलपमेन्ट स्टडीज के प्रस्ताव पर पुन: समिति द्वारा विचार किया गया तथा उनका आवेदन निरस्त किया गया।

6: शिशु बिहार स्कूल को अलीगंज योजना के सेक्टर "एच" में जून 1988 में एक स्कूल भूखण्ड आवंटित किया गया था, जिसका अनुमानित क्षेत्रफल 971.25 वर्गमीटर था। बाद में जब भूमि की वास्तविक नाप कराई गई तो भूमि की मात्रा 2930.23 वर्गमीटर आई। 1958.98 वर्गमीटर क्षेत्रफल वर्तमान दर से आवंटित करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया परन्तु उपरोक्त स्कूल ने अपना प्रत्यावेदन दिया कि बढ़े हुए क्षेत्रफल को पुरानी दर पर दिया जाय। समिति ने इस पर विचार किया और निर्णय लिया गया कि उपरोक्त स्कूल को प्रारम्भ में आवंटित 971.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल ही दिया जाय तथाअतिरिक्त क्षेत्रफल का नियोजन मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक द्वारा कर लिया जायें।

ह0/=	ह0/=	ह0/
के0के0 उपाध्याय	के0बी0 सक्सेना	रमेश चन्द्र मिश्रा
सचिव	का0ए0इकों0एला0	सह जिला विद्यालय, निरीक्षक
लखनऊ विकास प्राधिकरण	लखनऊ विकास प्राधि0	
सदस्य समिति	सदस्य समिति	सदस्य समिति

ह0/=

दिनेश राय
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
अध्यक्ष समिति

विषय : 4-राणा प्रताप मार्ग, हज़रतगंज पर प्रस्तुत होटल मानचित्र के सम्बन्ध में ।

xxxxxxx

मास्टर एस०आरिफ़ द्वारा भूखण्ड सं०: 4- राणा प्रताप मार्ग, हज़रतगंज पर भूतल + 3 तलों के होटल मानचित्र का प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है । यह भूखण्ड राणा प्रताप मार्ग स्थित जल निगम कार्यालय के पास स्थित है । महायोजना में प्रस्तावित क्षेत्र आवासीय है । प्रसंगित होटल का प्रस्ताव आवासीय क्षेत्र में होने के कारण अध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा प्रकरण पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड में प्रकरण रखा जाये। तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7-7-88 के विषय संख्या: 25 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० से निरीक्षण कराकर आख्या प्रस्तुत की जाये । उक्त के अनुक्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने निरीक्षणोपरान्त अपनी रिपोर्ट दिनांक 11-4-90 को प्रस्तुत की है कि " प्रश्नगत भूखण्ड की स्थिति क्षेत्रफल तथा मुख्य मार्ग से पहुँच की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण निम्न उप-विधियों के अनुसार होटल निर्माण की अनुमति प्रदान कर सकता है :-

1-	अधिकतम भू-आच्छादन	40 प्रतिशत
2-	एफ० ए० आर०	100 प्रतिशत
3-	भवन की ऊँचाई	4 मंजिल या 12 मीटर
4-	सेटबैक, पार्किंग	प्राधिकरण की उपविधियों के अनुसार ।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पक्ष द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये जिसकी तकनीकी जाँच की गयी। मानचित्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप है । मानचित्र पर नजूल, कमप्युटर, अर्जन एवं सीलिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं ।

अत: प्रसंगित मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

विषय : गोमती नगर योजना में डा० राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक सुसज्जित अस्पताल के निर्माण से सम्बन्धित ।

आख्या: गोमती नगर योजना में डा० राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक सुसज्जित अस्पताल के निर्माण के लिये भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित एक टिप्पणी सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०शासन की दिनाँक: 21.3.91, 22.3.91 को प्राप्त हुई थी । इस टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त चिकित्सालय की स्थापना 20 एकड़ भूमि में गोमती नगर योजना में की जाय तथा चिकित्सालय की भूमि ताज होटल के आगे जहाँ एक अन्य होटल के विकास हेतु योजना रखी गई थी, वहाँ पर दिये जाने पर विचार कर लिया जायें और यदि यह स्थल दिया जाना असंभव हो तो गोमती नगर योजना में अन्य स्थल पर भूमि की व्यवस्था की जाय ।

2. इस सम्बन्ध में सचिव, आवास उ०प्र० शासन के कक्ष में दिनाँक:22.3.91 को एक बैठक हुई थी जिसमें भूमि के स्थल के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया था । विचार विमर्श के समय सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भी उपस्थित थे । उन्होंने गोमती नगर योजना में ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के समीप भूमि दिये जाने पर बल दिया था, परन्तु इस भूमि की स्थिति यह है कि आज की तिथि में इस भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का कब्जा नहीं है । अत: इस स्थल पर भूमि दिया जाना ल०वि०प्रा० के लिये सम्भव नहीं हो पायेगा ।

3. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में भूमि उपलब्ध करा सकता है । उपरोक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु 15 एकड़ भूमि पर्याप्त होगी । अत: निम्न प्रस्ताव है : -

§1§ गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में 15एकड़ भूमि उपरोक्त अस्पताल के निमार्ण हेतु दे दी जाय ।

§11§ चूँकि भूमि अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अत: एक चिकित्सालय अर्थात डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा सिविल अस्पताल-दोनों में से एक को भूमि देने पर विचार कर लिया जायें ।

§111§ ल०वि०प्रा० द्वारा केवल वाह्य विकास सुविधायें उपलब्ध कराई जायें जिसमें वाह्य सड़क, वाह्य सीवर तथा एस०डब्लू०ड्रेन का निर्माण सम्मिलित है । विद्युत का केवल सोर्स उपलब्ध कराया जायेगा । जल व्यवस्था ल०वि०प्रा० द्वारा नहीं की जायेगी एवं अन्य आन्तरिक विकास कार्य भी ल०विकास प्रा० द्वारा नहीं किये जायेंगे ।

§1V§ भूमि की दर आवंटन के समय प्रचलित आवासीय दर की आधी रखी जायें ।

-:-:-:-

विषय: गोमती नगर योजना में सिविल अस्पताल हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित ।

आख्या : सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 शासन लखनऊ ने गोमतीनगर योजना के विपिन खण्ड में चिकित्सालय हेतु 15 एकड़ भूमि के आवंटन हेतु अनुरोध किया था । चूँकि गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में भूमि उपलब्ध नहीं है, . अत: 15 एकड़ भूमि सिविल अस्पताल हेतु गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में उपलब्ध कराने हेतु सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सूचित किया गया था । इस योजना में आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि की अनुमानित दर रू0750/= प्रति वर्ग मीटर है, इसके अनुसार 15 एकड़ भूमि का कुल प्रीमियम रू0 455.272 लाख सूचित किया गया था ।

2. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ने सूचित किया है कि अन्य स्थानों पर विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा आवासीय दर की आधी दर पर भूमि उपलब्ध कराई गई है ।

3. प्राधिकरण कृपया सिविल अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि की मात्रा तथा दर के सम्बन्ध में निर्णय लेने का कष्ट करें ।

- - - - - - -

विषय संख्या: 12 पृष्ठ संख्या : 36

विषय : स्वास्थ्य विभाग केपरिवार कल्याण एवं भारतीय जनसंख्या परियोजना के भवन हेतु 5 एकड़ भूमि के आवंटन से सम्बन्धित ।

आख्या : स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण एवं भारतीय जनसंख्या परियोजना के भवन हेतु 5एकड़ भूमि आवासीय दर की आधी दर पर देने के संबंध में सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन का पत्र दिनाँक:15.10.90 प्राप्त हुआ जिसकी प्रति संलग्न है ।

2. दिनाँक:27.08.90 को अपोलो अस्पताल को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिव, आवास, उ0 प्र0 शासन तथा ल0 वि0 प्रा0 की ओर से सचिव, मुख्य अभि0 तथा का0स0एवं इको0प्ला0 ने भाग लिया था । इस बैठक में सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
परियोजना हेतु 5एकड़ भूमि अपोलो अस्पताल के सम्बन्ध में अनुमोदित
के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त शर्तों पर दे दी जायें तथा यह भूमि अपोलो अस्पताल को दी जाने वाली भूमि के समीप ही दी जायें । उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है ।

3. अपोलो अस्पताल में यह उल्लेख करना है कि स्वास्थ्य संस्थान के भवन का निर्माण व्यवसायिक सेक्टर में ही किया जा सकता है क्यों कि कार्यालय हेतु भूमि व्यवसायिक सेक्टर में ही आवंटित की जा सकती है । गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में व्यवसायिक सेक्टर में कार्यालय प्रयोजन हेतु भूमि नेबार्ड, सिडबी, केनरा बैंक तथा अन्य संस्थाओं को रु0 2,000/= प्र0 व0 मी0 की दर से आफर की गई है । नेबार्ड तथा केनरा बैंक ने उपरोक्त दर से भूमि लेने हेतु अपनी सहमति भेज दी है ।

5. प्राधिकरण कृपया उपरोक्त संस्था को कार्यालय प्रयोजन हेतु भूमि देने के सम्बन्ध में दर निर्धारित करने का कष्ट करें ।

-:-:-:-:-:-

पृष्ठ संख्या: 37

अखण्ड प्रताप सिंह,
आई.ए.एस.
सचिव

अर्ध शा.पत्र सं. 277/पी.एस./एच.एस.90
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, विकास भवन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

दिनाँक: 15-10.1990

प्रिय दिनेश,

स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण एवं भारतीय जन संख्या परियोजना के भवन हेतु पाँच एकड़ जमीन आवासीय दर से आधे पर देने के सम्बन्ध में निर्णय पिछले महीने अपोलेी अस्पताल के सम्बन्ध में हुयी बैठक में लिया गया था । अनुरोध है कि उक्त भूमि का विवरण एवं आवंटन शीघ्र करने के निर्देश दे दें जिससे कि योजना का कार्यान्वियन प्रारम्भ हो सके ।

भवदीय,

(अखण्ड प्रताप सिंह)

श्री दिनेश राय,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

दिनाँक: 27.8.1990 को अपोलो अस्पताल के सम्बन्ध में मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति : -

1. मा. स्वास्थ्य मंत्री जी
2. श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0,
3. श्री शम्भू नाथ, सचिव, आवास विभाग ।
4. श्री बी0 बी0 उपाध्याय, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. श्री ललित मेहरोत्रा, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
6. श्री के0 बी0 सक्सेना, का0अ0, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
7. अपोलो अस्पतालनिर्माता के प्रतिनिधि ।

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया कि जो योजना के विनीत खण्ड में आवंटन इस कार्य के लिये किया गया था, उसका कब्जा मिलने में विलम्ब होने की सम्भावना है । अत: विकल्प स्वरूप भूमि देने पर विचार किया गया । चिकित्सा की लाभकारी योजना को देखते हुए और इसमें विलम्ब हुआ तो कदाचित इस योजना से इस राज्य और नगर के नागरिक चिकित्सा सुविधा से पूरी तरह वंचित न रह जांय, इसलिये स्वास्थ्य सचिव ने सुझाव दिया कि इस योजना हेतु भूमि उपयोग में नियमानुसार परिवर्तन अपेक्षित होगा । इस प्रकार का परिवर्तन विपिन खण्ड में अन्य इकाइयों जैसे ताज होटल, उत्तर प्रदेश चीनी निगम के भवनों व अन्य आवासीय निर्माण हेतु किया जाना है । स्वास्थ्य सचिव ने सुझावदिया कि इस भूमि के स्थान पर नई योजना में चूँकि प्रस्तावित आवंटन किया गया था, हरित पट्टी का प्राविधान किया जा सकता है, जिससे कुल हरित क्षेत्र में कमी न हो ।

2. आवास सचिव ने शंका प्रकट की कि यदि भूमि का आवंटन करके उस पर कब्जा दे दिया जाए तो हो सकता है कि आवंटी इसे भू-उपयोग के परिवर्तन का आश्वासन समझ लें जबकि यह एक वैधानिक प्रक्रिया है और इस विषय पर कोई पूर्व निश्चित आश्वासन दिया जाना अनुचित होगा । स्वास्थ्य सचिव की जिज्ञासा पर अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश चीनी निगम तथा अन्य संस्थाओं को भी भूखण्ड आवंटित किये गये हैं और

क्रमश: --

उनसे पूरा मूल्य प्राप्त कर लिया गया है परन्तु इन प्रकरणों पर भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही तत्पश्चात की जा रही है । मा० स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि चूँकि उक्त परियोजना के लिये भूमि का आवंटन हो चुका है इसलिये विपिन खण्ड से सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत नक्शे पर प्रस्तावित स्थल पर निर्माण हेतु भूमि दे दी जाय । भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के पूर्व आवंटी को आश्वस्त करना होगा कि भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में यदि निर्णय प्रतिकूल हुआ तो उन्हें अपनी परियोजना अन्य वैकल्पिक स्थल पर शिफ्ट करनी होगी । गोमती नगर मास्टर प्लान के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पहले शुरू की गई थी परन्तु औपचारिक कार्यवाही अधिकांश भूखण्डों के सम्बन्ध में अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं । लखनऊ विकास प्राधिकरण से आग्रह किया गया कि वे कब्जा देने के साथ-साथ तत्काल प्रस्तावित भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दें ।

3. उक्त सम्बन्ध में भूमि का मूल्यका 25 प्रतिशत तत्काल लखनऊ विकास प्राधिकरण को भुगतान किया जाना होगा । शेष धनराशि यदि 2 वर्षों में किश्तों में दी जायेगी तो उस पर नियमानुसार ब्याज देय होगा ।

4. स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य संस्थान की भूमि के लिये भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया , जिसके लिये 5एकड़ भूमि की आवश्यकता है । इस संस्थान में जनसाधारण एवं स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण और अध्ययन की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी । निर्णय हुआ कि अपालो परियोजना के समीप ही स्वास्थ्य संस्थान के लिये भी 5 एकड़ भूमि उपरोक्त अनुमोदित शर्तों पर दे दी जाये और इस सम्बन्ध में भी भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पूरी कर ली जाय ।

ह०/=

अखण्डप्रताप सिंह
सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार ...

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की पुरानी कामन सील के स्थान पर नई इनग्रेविंग कामन सील की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 8 जुलाई, 1977 के मद संख्या: 11 के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण की "कामन सील" की स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस कामन सील का प्रयोग अब तक किया जाता रहा है परन्तु यह "कामन सील" बहुत साधारण है जिसकी डुप्लीकेट बहुत आसानी से बन सकती है । अत: उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए एक इनग्रेविंग कामन सील तैयार करवा ली गई है ।

कृपया इस "इनग्रेविंग कामन सील " को प्रयोग किये जाने का अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें तथा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसके प्रयोग हेतु अधिकृत करने का कष्ट करें । यह " कामन सील " सचिव कार्यालय में सुरक्षित रहेगी तथा सचिव के आदेश पर ही लगाई जा सकेगी ।

विषय: अनाधिकृत रूप से विभाजित अविकसित क्षेत्र के भूखण्डों पर आन्तरिक व वाह्य विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने विषयक ।

लखनऊ परिक्षेत्र के ऐसे भी मानचित्र स्वीकृत हेतु प्राप्त होते हैं जो कि अनाधिकृत रूप से भूखण्डों का विभाजन कर अथवा सीधे भूमिधरों से भूमि क्रय कर अविकसित क्षेत्रों के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 में यह प्राविधान है कि बड़े भूखण्डों को विकसित किये जाने से पूर्व भूखण्ड का तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया जाये । तथा नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या: 5748/11-5-86-52 मिस/86 दिनांक: 12 अगस्त 1986 के क्रम संख्या: 04 के अनुसार यदि अनाधिकृत रूप से भवन बनाया गया हो तथा जहाँ सड़क, पानी, बिजली आदि अथवा एक सुविधा का अभाव हो तो उस क्षेत्र का विनियमितीकरण करने से पूर्व तथा भवन निर्माण की अनुमति देने से पूर्व भूखण्ड के क्षेत्रफल पर वाह्य व आन्तरिक विकास शुल्क वास्तविक स्थिति के आधार पर लिये जाने के निर्देश हैं परन्तु शासनादेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्षेत्र का विकास कब किया जायेगा । जिस कारण मानचित्र जमाकर्ता द्वारा अधिकांशतया यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि जब प्राधिकरण क्षेत्र का विकास करे तब उससे विकास शुल्क ले लिया जाये तथा विनियोजित किये जाने की दशा में निर्माण की अनुमति हेतु स्वीकृति मानचित्र निर्गत कर दिया जाये। इसी प्रकार के अन्य मामलों व श्री एस०एन० शर्मा व श्री के० पी० खरे स्नेहनगर, तेलीबाग के मानचित्र भी प्राधिकरण में निर्गत हेतु विचाराधीन है ।

चूँकि ल०वि०प्रा० में विकास शुल्क लिये जाने की वर्तमान में कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है तथा कुछ मामलों में पूर्व में अनुबन्ध पत्र लेकर भी मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं परन्तु स्वीकृत प्रदान किये जाने के पश्चात पक्ष से विकास शुल्क वसूल किया जाना एक विषम समस्या बन सकती है । इस संबंध यू० पी० डी० ऐक्ट, 1973 की धारा-35 के अन्तर्गत बेटरमेन्ट चार्जेज लिये जाने का प्राविधान है जिसके अनुसार कानपुर विकास प्राधिकरण में पक्ष से 25% धनराशि जमा कराते हुए शेष धनराशि को विशेष परिस्थितियों में आठ छमाही किश्तों में लेकर विनियोजित किया जाता है, ल०वि०प्रा० में भी विकास शुल्क के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है परन्तु उपरोक्त को विशेष परिस्थितियों में लागू करने के साथ-साथ प्रतिबंध यह होगा कि क्षेत्र के 75% लोगों द्वारा विकास शुल्क पूर्ण रूपेण जमा किये जाने के उपरान्त ही प्राधिकरण उक्त क्षेत्र में कोई विकास कार्य करेगा । जिस हेतु पक्ष को निर्माण/विकास की अनुमति से पूर्व अण्डरटेकिंग देनी होगी ।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 15 पृष्ठ संख्या: 42

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मोटर कार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान समय में निष्पादित की जा रही विभिन्न योजनायें लखनऊ नगर से काफ़ी दूरस्थ स्थित हैं जिनकी देख-रेख व निर्माण कार्य एवं किसी अन्य प्रकार से सम्बन्धित स्टाफ़ को अपने निजी वाहन का प्रयोग करना पड़ता है । इन अधिकारियों को वाहन भत्ता शासनादेश संख्या: 4434/11-1-75-18/75, दिनाँक 20-3-76 के अनुसार दिया जाता रहा है । तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 1420/37-2-139 डी०ए०/77 दिनाँक 30-4-79 के अनुसार प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिया जा रहा है । इसके उपरान्त विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनाँक 6-9-86 द्वारा निजी मोटर कार का उपयोग विकास प्राधिकरण की सेवा हेतु करने वाले अधिकारियों को रु० 325/- मोटर कार भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया । प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनाँक 25-1-90 द्वारा मोटर कार भत्ते में वृध्दि कर रु० 400/- प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया जिसके अनुसार वर्तमान में रु० 400/- मोटर कार भत्ता प्रदान किया जा रहा है । किन्तु मोटर कार भत्ता दिये जाने हेतु पूर्व में कोई श्रेणी नहीं निर्धारित थी ।

अत: प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनका मूल वेतन रु० 2200/- प्रतिमाह या इससे अधिक है और यदि उनके पास उनकी निजी मोटर कार है जिसको क्रय करने का श्रोत उनके द्वारा स्पष्ट करने के उपरान्त ही, यदि वे इसका उपयोग प्राधिकरण कार्यहित में करते हैं तो उन्हे रु० 400/- प्रतिमाह वाहन भत्ता दिये जाने के अनुमोदन हेतु विषय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

विषय: शारदा नगर योजना के रूचि पार्ट-2 के विन्यास मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रूचि पार्ट-2 का अभिन्यास चित्र तैयार किया गया था । इस योजना के अन्तर्गत लगभग 1.54 एकड़ भूमि जो संलग्न अभिन्यास चित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है पर एच0 डी0एफ0सी0 के वित्तीय सहयोग से निर्बल आय वर्ग हेतु भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । प्रश्नगत स्थल पर गहरा गड्ढा होने के कारण निर्माण कार्य में काफी लागत आयेगी । अत: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह उचित समझा गया कि इसी के समीप लगभग 1.93 एकड़ भूमि जो पार्क हेतु आरक्षित है तथा अभिन्यास चित्र पर नीले रंग से दर्शाई गयी है पर एच0डी0एफ0सी0 के वित्तीय सहयोग वाली योजना बना दी जाय तथा पार्क को पूर्व में प्रस्तावित भवनों के स्थान पर परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

शासनादेश संख्या: 4011/11-5-1989 दिनाँक: 26अगस्त,89 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये हैं कि अभिन्यास चित्र में संशोधन अथवा स्वीकृति की अनुमति बोर्ड से ली जाय ।

अत: विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष शारदा नगर योजना के रूचि पार्ट-2 का संशोधित विन्यासचित्र विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 17 पृष्ठ संख्या: 44

विषय : गोमती नगर योजना में आवन्टित भूखण्ड संख्या: 2/136 विजय खण्ड की जमा अधिक धनराशि पर ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में ।

========

श्री एस०एन०पण्डिता को गोमती नगर योजना में ए-श्रेणी भूखण्ड संख्या: 2/136, विजय खण्ड नगद भुगतान पर आवन्टित किया गया था । आवन्टी ने दिनांक 7-10-85 को रु० 87,000/- मात्र जमा कर दिया था ।

2. उक्त भूखण्ड का सामान्य क्षेत्रफल 540 वर्गमीटर है । भूखण्ड की कुल लागत धनराशि जमा की थी । निबन्धन के समय लीज़ प्लान (455.76) वर्गमीटर का ही अभियन्त्रण विभाग व्दारा भेजा गया है । भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने के कारण अधिक जमा धनराशि रु० 14,772/- है, पर दिनांक 30-12-85 से आवन्टी ब्याज की माँग कर रहा है । चूंकि भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने का दायित्व विभाग का है, आवन्टी का कोई दोष नहीं है । विकास प्राधिकरण लखनऊ की बैठक में ब्याज देने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ प्रस्तुत है ।

अनुपूरक विषाय संख्या: ।

पृष्ठ संख्या: ।

विषाय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्त्रण कार्यों एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

वर्ष 1985 से माह मार्च, 1991 तक भवनों की भौतिक उपलब्धि

त्रैमासिक एम0आई0एस0 आख्या माह मार्च, 1991

क्र0सं0	भवनों की श्रेणी	वर्ष 1984-85 में निर्मित भवन लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष 1985-86 में निर्मित भवन लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष 1986-87 में निर्मित भवन लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष 1987-88 में निर्मित भवन लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष 1988-89 में निर्मित भवन लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष 1989-90 में निर्मित भवन लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष 1990-91 में निर्मित भवन लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष 1991-92 में निर्मित भवन लक्ष्य	प्राप्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
§1§	उच्च आय वर्ग-	-	199	-	163	-	124	-	40	75	72	50	50	100	74	1670	
§2§	मध्यम आय वर्ग मिनी मध्यम आय वर्ग-	-	986	-	578	-	656	352	352	500	488	400	235	200	106	2536	
§3§	अल्प आय वर्ग-	778	468	500	284	457	434	1200	1236	2000	2008	1500	1627	1000	960	2848	
§4§	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/दुर्बल आय वर्ग-	6500	5546	4000	3178	500	484	800	850	2300	1987	1500	1476	1500	2076	2226	
§5§	साइट/सर्विसेज-	350	45	2000	2050	1800	2175	1200	2175	2200	1872	500	645	500	-	-	
§6§	अन्य वर्ग-	-	1013	-	959	-	1051	640	612	320	300	500	170	200	25	500	
	योगः-	7628	8257	6500	7221	2757	4924	4192	5265	7395	6727	4450	4203	3500	3241	9800	

साहू/91।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रैमासिक आख्या मार्च, 1991 तक

क्र0सं0	योजना का नाम	पूर्ण	प्रस्तावित व्यवस्था	धनराशि	खण्ड का नाम	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
{1}	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/साइट एवं सर्विसेज-	ई0डब्लू0एस0- 2072 साइट/सर्विसेज- - योगः- 2072	ई0डब्लू0एस0- 1500 साइट/सर्विसेज- 500 योगः- 2000	{1} मुख्य हडको से ऋण लिया जा रहा है। {2} विभागीय स्त्रोत। {3} एच0डी0एफ0सी0	विभिन्न खण्डों में।	वर्ष 1990-91 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लिये 3000 भवनों का निर्माण का लक्ष्य है। बरसात के कारण प्रगति प्रभावित रही है। 100.73 प्रतिशत प्रगति रही है।
{2}	अल्प आय वर्ग-	960	अल्प आय वर्ग- 1000			
		कुल योगः- 3032	3000		100.73 प्रतिशत प्रगति रही है।	

साहू/91।

4

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र संख्या-15ख§1§ व 15ख§2§ के प्रपत्र पर माह मार्च, 1991 तक की आख्या

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष 1990-91 का लक्ष्य	पिछले माह की उपलब्धि	माह की उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि	खण्ड	अधिकारी का नाम	टिप्पणी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
§1§	**ई०डब्लू०एस०/साइट एवं सर्विसेज**						साइट एवं सर्विसेज		
	ई०डब्लू०एस०	1500	1576	496	2072	-	-	-	
							ई०डब्लू०एस०		
						खण्ड-8	श्री एस०के० श्रीवास्तव	का०रो०या० सेक्टर-एफ	150
	साइट एवं सर्विसेज	500	-	-	-	खण्ड-9	श्री जे०एस० तिवारी	शारदा नगर योजना	1076
						खण्ड-7	श्री डी०पी० सिंह	का०रो०या०§वि०बैंक परि०§	846
								योग:-	2072
§2§	**अल्प आय वर्ग**	1000	912	48	960	खण्ड-5	श्री के०के० पाण्डेय	सी०रो०या० सेक्टर-डी	72
						खण्ड-5	श्री के०के० पाण्डेय	सी०रो०या० सेक्टर-एच	627
								तथा अन्य सेक्टर	117
						खण्ड-2	श्री कृष्ण कान्त	गोमती नगर योजना	46
						खण्ड-9	श्री जे०एस० तिवारी	रायबरेली रोड योजना	
								§शारदा नगर§-	98
								योग:-	960
	योग:-	3000	2488	544	3032		औसतन प्रगति 100.73 प्रतिशत रही है।		

साहू/91।

o/c

मुख्य अभियन्ता

PHYSICAL DEVELOPMENT OF WORKS
(INTERNAL WORKS)

Quarterly report ending March, 1991

S.No.	Particulars	Total length proposed in Scheme	Total Achievment up to 1987-88	Total Achievment up to 1988-89	Total Achievment up to 1989-90	Target for the year 1990-91	Achievment up to Dec. 1990	Achievment from April 1990 to March, 1991	Achievment from Jan ~~March~~, 91 to March, 1991 IVth Quarter	Remark
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	KANPUR ROAD SCHEME									
	(1) Road									
	(a) Soling	80.72	74.12	4.52	1.55	0.53	0.53	0.53	-	
	(b) Consolidation	57.60	53.35	2.25	1.55	0.53	0.53	0.53	-	
	(c) Painting/Pre-mixing	57.60	53.35	2.25	2.01	0.07	0.07	0.07	-	
	(2) Drain									
	(a) K.C.Drain	9.10	2.60	4.00	2.07	0.43	0.20	0.40	0.20	
	(b) S.W.Drain	12.57	3.07	6.90	1.20	0.80	0.60	0.20	0.20	
	(3) Sewer/Trunk Sewer	5.68	1.33	3.35	0.91	0.09	0.10	0.10	-	
	(4) Water Main	5.33	1.33	0.57	1.51	1.92	0.92	1.50	0.50	
	(5) Park	8 Nos.	1 No.	2 Nos.	4 Nos.	-	-	-	-	
	(6) Over head Tank	-	-	-	75%	25%	-	-	-	
2.	GOMTI NAGAR SCHEME									
	1. Road									
	(a) soling	181.00	107.59	70.45	-	0.78	0.50	0.70	0.20	
	(b) Consolidation	141.37	81.14	44.26	-	0.87	0.50	0.70	0.20	
	(c) Painting/Pre-mixing	141.37	81.14	44.26	-	3.12	2.00	3.00	1.00	
	(2) Drain									
	(a) K.C.Drain	280.50	124.10	130.10	24.80	1.50	1.00	1.20	0.20	
	(b) S.W. Dra in	15.37	2.90	9.00	2.16	1.31	0.60	1.00	0.40	
	(3) Sewer/Trunk Sewer	152.35	10.40	127.33	12.75.	1.87	1.00	1.20	0.20	
	(4) Water Main	163.80	42.73	109.35	9.90	1.82	0.82	1.00	0.18	
	(5) Over Head Tank	12 Nos.	7 Nos.	3 Nos.	2 Nos.	-	-	-	-	
	(6) Park	100 Nos.	99 Nos.	35 Nos.	30 Nos.	2 Nos.	-	-	-	
3.	SITAPUR RD.SCHEME									
	(1) Road									
	(a) Soling	40.74	42.94	2.71	1.89	0.20	0.13	0.13	-	
	(b) Consolidation	40.74	34.22	10.00	2.49	0.03	0.03	0.03	-	
	(c) Painting/Pri-mixing	40.74	13.88	27.08	4.14	1.11	0.11	0.11	-	

6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	(2) Drain									
	(a) K.C. Drain	75.36	51.53	19.20	3.20	1.76	0.90	1.00	0.10	
	(b) S.W. Drain	20.00	22.50	4.80	2.25	0.45	0.25	0.40	0.15	
	(3) Sewer/Trunk Sewer	48.50	35.94	6.51	5.78	0.27	0.20	0.25	0.05	
	(4) Water Main	40.48	25.07	8.01	4.30	0.10	0.10	0.10	-	
	(5) Tube well	6 Nos.	3 Nos.	-	-	3 Nos.	-	-	-	
	(6) Park	55 Nos.	24 Nos.	9 Nos.	15 Nos.	7 Nos.	3 No.	4 No.	1 No.	
	(7) Over Head Tank	2 Nos.	-	1 No.	-	-	-	-	-	
4.	TRANSPORT NAGAR SCHEME									
	(1) Road									
	(a) Soling	16.50	9.72	5.64	-	0.14	-	-	-	
	(b) Consolidation	15.50	9.72	3.64	-	2.14	-	-	-	
	(c) Painting/Pre-mizing	15.50	9.72	4.84	-	0.94	-	-	-	
	(2) Drain									
	(a) K.C. Drain	31.50	18.12	11.38	-	2.03	1.50	2.00	0.50	
	(b) S.W. Drain	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(3) Sewer/Trunk Sewer	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(4) Water Main	16.60	9.25	0.65	-	0.10	0.10	0.10	0.10	
	(5) Park	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(6) Over Head Tank	3 Nos.	1 No.	-	-	-	-	-	-	
	(7) Parking	5.07 Jec.	4.00 Hec.	1.07 Hec.	-	-	-	-	-	
5.	SHARDA NAGAR SCHEME (Ruchi & Rashmi Khand)									
	(1) Road	6.00	-	-	5.00	1.00	0.50	1.00	0.50	
	(2) S.W. Drain	2.00	-	-	0.50	1.50	1.00	1.20	0.20	
	(3) K.C. Drain	6.00	-	-	-	6.00	3.50	3.50	-	
	(4) Water Main	6.00	-	-	-	6.00	2.20	2.20	-	
	(5) Park	20.00	-	-	10 Nos.	10 Nos.	4 No.	6 No.	2 No.	
	(6) Tree Gards	200Nos.	-	-	100Nos.	100Nos.	-	-	-	
	(7) Sewer	6.00	-	-	2.50	3.50	1.50	2.50	1.00	
	(8) Over Head Tank	1 No.	-	-	.50%	.95%	0.60%	0.70%	0.10%	
6.	KURIA GHAT									
	9*0 S.W. Drain	0.650	0.05	0.650	-	-	-	-	-	
7.	RAJENDRA NAGAR SCHEME									
	(1) Road	0.45	-	0.45	-	-	-	-	-	
	(2) K.C. Drain	0.70	-	0.70	-	-	-	-	-	
	(3) Water Main	0.20	-	0.20	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	NIBOO BAGH SCHEME									
	(1) Road	0.20	-	0.20	-	-	-	-	-	
	(2) K.C. Drain	0.40	-	0.40	-	-	-	-	-	
9.	ALIGANJ SCHEME									
	(1) S.W. Drain	0.68	-	0.68	-	-	-	-	-	
	(2) Trunk Sewer	4.60 (Balance)	-	3.24	1.00	0.20	0.10	-	-	
	(3) Park	1 No.	-	1 No.	-	-	-	-	-	
10.	TIKAIT RAI H.SCHEME									
	(1) Water Main	-	-	-	0.65	3.75	1.75	3.50	1.25	
	(2) Sewer	-	-		0.40	3.10	0.10	1.50	1.40	
	(3) S.W. Drain	-	-	0.80	0.75	-	-	-	-	
	(4) K.C. Drain	-	-	-	-	3.30	1.30	1.30	-	
	(5) Road	-	-	-	3.00	1.00	0.50	0.50	-	
	(6) Park	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	(7) Bio gas plant	-	-	-	-	1 Job	-	-	-	
11.	NABIULLAH ROAD SCHEME									
	(1) Road	6.09	2.50	5.59	-	-	-	-	-	
	(2) K.C. Drain	03.00	-	2.90	0.10	-	-	-	-	
	(3) S.W. Drain	2.25	1.00	1.25	-	-	-	-	-	
12.	RADHAGRAM SCHEME									
	(1) Road	3.50	1.20	1.625	-	0.675	-	-	-	
	(2) S.W. Drain	4.00	1.00	0.20	-	1.80	-	-	-	
	(3) Sewer/Trunk Sewer	1.45	0.25	1.225	-	0.015	-	-	-	
	(4) Water Main	5.30	3.20	2.00	-	1.00	-	-	-	
	(5) Tube well	1 No.	-	1 No.	-	-	-	-	-	
	(6) Park	2 Nos.	-	2 Nos.	-	-	-	-	-	
13.	AZAD NAGAR YOJNA									
	(1) Road	0.60	0.40	0.20	-	-	-	-	-	
	(2) K.C. Drain	0.80	0.50	0.30	-	-	-	-	-	
14.	MEER TAQI MEER SCHEME									
	(1) Road	0.775	0.325	0.225	-	0.225	-	-	-	Work is held up due to stay order from the honourable court.
	(2) K.C. Drain	1.125	0.450	0.500	-	0.175	-	-	-	
	(3) Sewer/Trunk Sewer	0.72	0.320	0.375	-	0.025	-	-	-	
	(4) Park	1 No.	1 No.	-	-	-	-	-	-	
	(5) Water Main	2.25	2.00	0.225	-	-	-	-	-	

8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15.	WAZEER HASAN ROAD YOJNA									
	(1) Road	-	-	-	0.425	0.70	-	-	-	
	(2) K.C. Drain	-	-	-	0.650	1.50	-	-	-	
	(3) Sewer line	-	-	-	0.825	0.925	-	-	-	
	(4) Water Main	-	-	-	0.450	0.640	-	-	-	
	(5) Park	-	-	-	1 No.	2 Nos.	-	-	-	
16.	BHAWANI AVAS YOJNA									
	(1) Road	1.00	-	-	0.70	0.30	-	-	-	Work is held up due
	(2) K.C. Drain	2.00	-	-	1.40	0.60	-	-	-	to stay order form
	(3) Sewer line	11.90	-	-	0.800	11.10	-	-	-	honourable court.
	(4) Water Main	10.80	-	-	0.65	10.15	-	-	-	
	(5) Park	6 Nos.	-	-	3 Nos.	3 Nos.	-	-	-	
17.	MAHANAGAR SEWER YOJNA									
	(1) Trunk Sewer	10.63 (Balance)	-	-	-	0.80	-	-	-	Remaining sewer
									-	line to be laid
	(2) Construction of sump well	sump well							-	after tenting.
	(a) One-1	1 No.	-	50%	-	20%	-	-	-	Istlaltion of
	(b) One-2	1 No.	-	100%	-	-	-	-	-	electric cons-
	(c) One-3	1 No.	-	5%	-	35%	-	-	-	truction to be
										done by A.A.(E./M.)

Sahu/90

PHYSICAL PROJECT OF DEVELOPMENT WORKS

ZONAL ROAD (EXTERNAL WORKS)

Quarterly report ending March, 1991

S.No.	Particulars	Total lenth proposed in scheme	Total up to Achievment 1987-88	Total Achievement up to 1988-89	Total Achievement up to 1989-90	Target for the year 1990-91	Achievement up to Dec. 1990	Achievment from April 90 to MARCH 1991	Achievment for IVth Quarter ie from Jan.-91 to March, 91	Remark
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	KANPUR ROAD									
	(1) ZONAL ROAD									
	(a) Soling	20.30	10.30	8.50	0.50	-	-	-	-	
	(b) Consolidation	20.30	10.30	8.00	0.40	3.60	1.60	2.00	0.40	
	(c) Painting/Pri-mixing	20.30	7.50	7.80	2.70	2.30	1.30	2.00	0.70	
	(2) Sewer & Trunk sewer	17.00	10.00	4.00	1.30	1.70	0.70	1.00	0.30	
	(3) S.W. Drain	17.00	10.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.30	0.30	
	(4) Surface Drain	24.00	2.00	6.00	-	10.00	4.00	6.00	2.00	
2.	RAI BARELY RD.SCH.									
	(1) Zonal Road									
	(a) Soling	12.60	-	9.00	0.70	2.90	2.20	2.50	0.30	
	(b) Consolidation	12.60	-	3.60	2.40	6.60	4.60	6.00	1.40	
	(c) Painting/Pre-mixing	12.60	-	-	2.20	10.40	5.20	7.40	2.20	
	(2) Trunk sewer	11.50	-	-	1.30	5.20	2.00	3.20	1.20	
	(3) S.W. Drain	12.60	-	-	-	6.00	2.00	3.00	1.00	
	(4) Surface Drain	15.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.	KANPUR RD.SCH.SECT.'D'									
	(1) Zonal Road									
	(a) Soling	2.30	1.00	1.30	-	1.00	0.70	0.80	0.10	
	(b) Consolidation	2.30	-	-	1.30	1.00	0.70	0.80	0.10	
	(c) Paintin/Pre-mixing	2.30	-	-	1.30	1.00	0.70	0.80	0.10	
	(2) Sewer & Trunk sewer	2.30	-	1.00	0.75	-	-	-	-	
	(3) Water Main	2.20	-	1.00	-	-	-	-	-	
	(4) Surface Drain	4.40	-	-	-	2.50	1.50	2.00	0.50	

10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	GOMTI NAGAR SCHEME									
	(1) Road									
	(a) Soling	24.35	5.05	8.00	-	0.55	0.30	0.50	0.20	
	(b) Consolidation	17.35	7.00	3.00	-	0.60	0.30	0.50	0.20	
	(c) Paintin/Pre-mixing	17.35	5.30	12.15	-	0.70	0.30	0.50	0.20	
	(2) Trunk Sewer	29.70	5.00	16.80	-	4.20	2.10	3.20	1.10	

Sahu/90

विषय:-- किराये के भवनों में नाम परिवर्तन, हस्तान्तरण व नये आवंटन के मामलों में किराया निर्धारित किये जाने के संबंध में ।:-

---

ज्ञातव्य है कि प्राधिकरण की किराये की विभिन्न कालोनियों में लगभग 3000 भवन किराये पर आवंटित किये गये है । प्राय: कार्यालय में इन भवनों की किरायेदारी में नाम परिवर्तन , हस्तान्तरण व आवंटन के संबंध में अनेकों प्रार्थना पत्र प्राप्त होतेरहते है, जिनके संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश व नीति निर्धारित न होने के कारण इन प्रार्थना पत्रों का त्वरित गति से निस्तारण संभव नही हो पाता है ।

प्राधिकरण द्वारा इन भवनों का पूर्व निर्धारित किराया इतना कम व अपर्याप्त है कि उनसे वसूली पर होने वाला व्यय व भवनों का अनुरक्षण भी सम्भव नही हो पाता है । वर्तमान में किराये की बाजार दर को देखते हुए व मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के फलस्वरूप भवनों को पूर्व किराये पर आवंटित किये जाने अथवा किरायेदारी में नाम परिवर्तन किये जाने का कोई औचित्य नही था, फलस्वरूप पेपर मिल कालोनी स्थित भवन सं0-26/3 की पत्रावली पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि भवनों का मानक किराया एक रु0 प्रति वर्ग फिट (कवर्ड एरिया पर) निर्धारित कर लिया जाय । इस नीति के निर्धारित हो जाने से एक ओर तो प्राधिकरण को वित्तीय लाभ हुआ व दूसरी ओर अनाधिकृत अध्यासन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने में भी पर्याप्त सहायता मिली ।

अत: प्राधिकरण के समक्ष उक्त निर्धारित नीति सुगम सूचनार्थ रक्खी जा रही है ।

विषय: सीतापुर रोड योजना फेज़-3 के अभिन्यास चित्र में संशोधन के सम्बन्ध में ।

सीतापुर रोड फेज-3 का अभिन्यास चित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है तथा शासनादेश संख्या: 4011/11-5-1989 दिनाँक: 26 अगस्त, 1989 के अन्तर्गत इसकी स्वीकृति बोर्ड बैठक दिनाँक: 15-12-90 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। होमियोपैथिक कालेज को पूर्व में सेक्टर "डी" में 4 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है तथा होमियोपैथिक कालेज द्वारा इसका भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन स्थल पर निरीक्षण के दौरान 4 एकड़ भूमि के स्थान पर केवल 3 एकड़ भूमि ही उपलब्ध होने के कारण होमियोपैथिक कालेज प्रश्नगत स्थल को लेने से इंकार कर रहा है तथा उनका यह प्रस्ताव है कि सीतापुर रोड फेज-3 के अन्तर्गत एक चार एकड़ का भूखण्ड जिसे संलग्न अभिन्यास चित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, को आवंटित कर दिया जाये तथा विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रस्ताव को उचित पाया । चूँकि प्रश्नगत स्थल पर अभिन्यास चित्र के अनुसार आवासीय इकाइयाँ सृजित की गयी हैं। अत: उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत पुनः संशोधन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है।

अत: बोर्ड के समक्ष संशोधित अभिन्यास चित्र अवलोकनार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

- - - - -

अनु0 विषय संख्या: 4 पृष्ठ संख्या: 13

विषय : नेहरू इनक्लेव फेज़-2 के अभिन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रिंग रोड के उत्तर की ओर नेहरू इन्क्लेव योजना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत लगभग 29 एकड़ भूमि पर भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 145.5 एकड़ भूमि रिक्त उपलब्ध है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर विभिन्न श्रेणियों के (200 स्क्वायर मी0, 112 स्क्वायर मी0 तथा 90 स्क्वायर मी0) के कुछ भूखण्ड सृजित किये गए हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। शासन के पत्र सं0 4011/11-5-1989 दिनाँक: 24 अगस्त, 1989 के अन्तर्गत यह निर्देश है कि प्रत्येक ले-आउट प्लान की अनुमति बोर्ड से ली जाये।

अत: विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष नेहरू इन्क्लेव फेज-2 का अभिन्यास चित्र बोर्ड के समक्ष विचारार्थ तथा स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

- - - -

अनुपूरक विषय संख्या: 5

विषय : गोमती नगर योजना में अपोलो अस्पताल को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत बैराज को पार करते हुये अप्रान के उत्तर की ओर लगभग 43.7 एकड़ भूमि का भू-उपयोग महायोजना 2001 के अन्तर्गत औद्योगिक दर्शाया गया है। विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक: 15-12-90 के मद संख्या: 21 के अन्तर्गत अपोलो अस्पताल को गोमती नगर क्षेत्र के अन्तर्गत 10 एकड़ भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के क्रम में अपोलो अस्पताल को दी जाने वाली भूमि को अभिन्यास चित्र में नीले रंग से अंकित कर दिया गया है तथा यह प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

- - - -

विषय : टाउन सेन्टर के अभिन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन द्वारा गोमती नगर के अन्तर्गत एक अस्पताल जन हित की सेवा हेतु खोले जाने के निर्देश दिये हैं, जिसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक: 23-3-91 को ~~अस्पताल खोलने हेतु~~ कर दी गयी। इस क्रम में सचिव, आवास के कक्ष में दिनांक: 23-3-91 को सचिव, स्वास्थ्य, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की उपस्थिति में विचार-विमर्श हुआ। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में "विवेक खण्ड" के अन्तर्गत आरक्षित 15 एकड़ भूमि उपरोक्त अस्पताल हेतु दिये जाने की संस्तुति की गयी, लेकिन सचिव, स्वास्थ्य द्वारा प्रश्नगत भूमि को अस्पताल हेतु उपयुक्त न समझते हुए इस बात पर विशेष बल दिये कि गोमती नगर योजना के टाउन सेन्टर के अन्तर्गत 20 एकड़ भूमि आरक्षित कर दी जाये। दिनांक: 30-3-91 को प्रश्नगत प्रकरण पर मुख्य सचिव के साथ पुन: मीटिंग हुई तथा सचिव, स्वास्थ्य द्वारा पुन: गोमती नगर के अन्तर्गत टाउन सेन्टर में भूमि को अस्पताल हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति की जिस पर मुख्य सचिव ने अपनी सहमति प्रकट की तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा प्रचलित सेक्टर रेट के आधे मूल्य पर भूमि उपलब्ध करवा दी जाये। प्रश्नगत विषय के संदर्भ में सचिव, स्वास्थ्य को स्थल का निरीक्षण भी करवा दिया गया तथा स्थल का टेन्टेटिव साइट प्लान भी व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवा दिया गया।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि टाउन सैन्टर का भू-उपयोग महायोजना 2001 के अन्तर्गत व्यवसायिक है। अत: यह भी निर्णय लिया गया कि "विवेक खण्ड" में पूर्व में अस्पताल हेतु आरक्षित भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक कर दिया जाये, ताकि विकास प्राधिकरण को कोई आर्थिक हानि न हो। प्रश्नगत स्थल को टाउन सैन्टर हेतु तैयार किये गये अभिन्यास चित्र में लाल रंग से अंकित कर दिया गया है। शासनादेश सं0 4011/11-5-1989 दि0 26-8-89 के अन्तर्गत इस प्रकार के निर्देश हैं कि प्रत्येक अभिन्यास चित्र की स्वीकृति बोर्ड से प्राप्त की जाय।

अत: यह प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष, टाउन सैन्टर का अभिन्यास चित्र तथा उसके अन्तर्गत 20 एकड़ भूमि जो अस्पताल हेतु आरक्षित की गयी है, अवलोकनार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

- - -

विषय: किसानों को मुआवज़ा दिये जाने के सम्बन्ध में जनता दल, उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव ।

जनता दल, उत्तर प्रदेश

98, रायल होटल, लखनऊ
फोन नं० 230137

पत्रांक...............

दिनांक 03. 04. 1991

सेवा में,

श्री मान् उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ,

महोदय,

आज दिनांक 3-4-91 को लखनऊ जनपद के ग्राम -सिकन्दरपुर ,पहाड़ पुर के हजारों किसान जिला जनता दल के नेतृत्व में जनता दल के तमाम प्रदेशीय नेताओं की उपस्थति के साथ यह प्रदर्शन उनकी भूमियों का अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने से उत्पन्न समस्याओं के कारण किया गया जिसका ज्ञापन तथा उससे सम्बन्धित मांगें निम्न लिखित है ।

ज्ञापन - यह कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व ग्राम सभा पहाड़पुर, सिकन्दरपुर (कुर्सीरोड) लखनऊ की भूमिका का अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था ।

2- यह कि अर्जन के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अर्जित भूमियों पर कब्जा किसानों को इस आश्वासन के साथ प्रारम्भ कर दिया कि किसानों को उनकी भूमियों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर दिया जायगा ।

3- यह कि काफी भूमियों पर कब्जा करने के बाद ल. वि. प्रा. द्वारा ग्राम सिकन्दर पुर के मुआवजे का निर्धारण रु0 1.21 प्रति वर्ग फुट तथा ग्राम पहाड़ पुर का 14 पैसा, 28 पैसा प्रति वर्ग फुट की दर से किया गया । जिससे किसानों के अन्दर एल. डी. ए. के प्रति आक्रोश

क्रमशः पेज नं. ---2पर

जनता दल, उत्तर प्रदेश

108, न्यू बी ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ

फोन नं० 232200

पत्रांक..............   दिनांक..........................

{2}

व्याप्त हो गया और उन्हे एल. डी. ए. की ईमानदारी के प्रति विश्वास खत्म हो गया इस कारण मुआवजे के निर्धारण को न्यायालय में चुनौती किसानों के द्वारा की गयी साथ ही विकास कार्य भी किसानों द्वारा वन्द करा दिया गया ।

4- यह कि तत्कालीन एल. डी. ए. के अधिकारियों ने किसानों की कार्यवाही को उचित मानते हुए किसानों को आश्वासन दिया कि जब तक किसानों की भूमियों के मुआवजे के वावत न्यायालय में दायर अपील का फैसला नही हो जाता और फैसले के मुताबिक भुगतान नहीं कर दिया जाता तथा अन्य मागें नहीं मान ली जाती तब तक भूमियों पर कब्जा करके एल. डी. ए. भूमियों पर विकास कार्य नहीं करेगी । तब से अब तक पहाड़पुर ग्राम के किसानों अपनी- अपनी भूमियों पर खेती करते आ रहे है ।

5- यह कि अब एल. डी. ए. अपने वादे से मुकर कर बिना उचित दर {बाजार दर} पर मुआवजे का भुगतान किये या न्यायालय के फैसले का बिना इन्तजार किए उन भूमियों पर कुड़ाई, गोली वन्दूक, पैसा और क्षेत्रीय पुलिस के बल पर भूमिकयों पर जबरदस्ती कब्जा करके विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

6- यह कि पहाड़ पुर ग्राम की भूमियॉं शहर से अति निकट कुर्सी रोड से सटी हुयी तथा उसके पास पड़ोस की भूमियों की रेट-5 लाख रुपया वीघा तक है । इस कारण किसान किसी भी सूरत में 3 या 4 हजार रूपये वीघा {बाजार दर से 100 गुना कम पर} भूमिया देने को कतई तैयार नही है इसके लिए किसान कुछ भी करने को संगठित है । अत: यह प्रदर्शन किसानों

क्रमश: पेज नं. ——3पर

जनता दल, उत्तर प्रदेश

108, न्यू बी ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ

फोन नं० 232200

पत्रांक............... दिनांक............................

{3}

के हित के लिए निम्न लिखित मांगे पूरा करने के वाद ही भूमियों पर कब्जा लेने की हिदायत देता है ।

मांगें:- 1. किसानों की भूतियों का प्रतिकूल वर्तमान बजार दर पर दिया जाय तथा फसलों, पेड़ों , आदि का सही मुआवजा दिया जाय ।

2- किसानों के गावों का सर्वांगीण विकास {बिजली डयूटी , पेयजल , जल निकासी , सड़क आदि} एल. डी. ए. की कालोनियों की भाँति किया जाय

3- किसानों को राजाज्ञानुसार योग्यता नुसार, नौकरी क्षमतानुसार , ठेकेदारी आदि, एल. डी. ए. व अन्य सरकारी विभागों में दी जाय ।

4- किसानों को आवश्यकतानुसार मान प्लाट व दुकानें वरीयता के आधार पर विकास खर्च पर एलाट की जाय ।

5- पुराने बने हुए किसानों के किसी भी निर्माण को एल. डी. ए. द्वारा छोड़ा जाय या गिराया न जाए ।

प्रार्थी गण :-

[illegible] यादव

कुंवरपाल यादव

कुंवरपाल यादव

रामकुमार यादव

[illegible] यादव

[illegible]

कृष्ण चन्द्र उपाध्याय

सेवा में
श्री मान् सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

महोदय

जिला-जनतादल लखनऊ के द्वारा आज दिनांक 3-4-91 को लखनऊ विकास प्राधिकरण पर आयोजित किसानो का यह प्रदर्शन सर्व सम्मति से इस बात की मांग करता है कि इन्दिरा नगर आवासीय योजना भाग 2 लखनऊ की भूमियो के अर्जन को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवैध करार दिया है जिस कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण उक्त भूमियो पर न तो कब्जा कर सकी है और न ही विकास कार्य कर पायी है इस कारण भूमियो पर बलात कब्जा करने हेतु भूमि अर्जन कानून में परिवर्तन करा लिया है उपरोक्त परिवर्तित कानून के आधार पर कब्जा या विकास कार्य करने का प्रयास तब तक न करे जब तक उपरोक्त योजना से सम्बन्धित किसानो की अर्जन सम्बन्धी सारी समस्याओं का निदान न हो जाय। यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण सरकारी तन्त्र या अपने गुन्डो के बल पर कब्जा या निर्माण का प्रयास करेगी तब समस्त जनपद के किसानो की सहायता तथा दल के सहयोग से लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रयास को हर सूरत में असफल करना दल व किसानो की मजबूरी होगी। चूंकि ल. वि. प्रा. ने कानून बदल दिया है इस कारण तमाम किसानो ने बदले हुए कानून को उच्च न्यायालय में चैलेन्ज भी किया है अर्थात किसान कानूनन और नैतिक दोनो तरह से बगैर उचित मांगो को माने हुए जो इसके पूर्व ल. वि. प्रा. को समय-2 पर दी जा चुकी है भूमि पर कब्जा न करने की हिदायत यह प्रदर्शन ल. वि. प्रा. को देता है।

आशा है कि आप के द्वारा इस बाबत कोई भी टकराव किसानो से करने का प्रयास नहीं किया जायगा।

दिनांक
3-4-1991

भवदीय
[illegible]
(मसूद अहमद)
पूर्व अध्यक्ष जिला लोकदल (ज)
लखनऊ

अनुपूरक विषय संख्या 8 पेज नं० 20

विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु विचारार्थ टिप्पणी:-

विषय-कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम-हैबतमऊ मवैया में खसरा सं0-565, 566 एवं 574व में लगभग 33बीघा भूमि मे से 6बीघा 9 विस्वा 15 विस्वांसी समायोजित की गयी भूमि के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-21.6.89 के विषय सं0-15 के अन्तर्गत श्रीमती विमला मिश्रा धर्मपत्नी श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा की भूमि स्थित ग्राम-हैबतमऊ मवैया के उपरोक्त खसरा नम्बरो की लगभग 33 बीघा भूमि खाते में दर्ज थी । उक्त भूमि का अधिग्रहण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कानपुर रोड एवं नगर विस्तार योजना भाग-4 के अन्तर्गत वर्ष 1985 में किया जा चुका है और इस समस्त अधिग्रहीत भूमि का अभिनिर्णय दिनांक-8, जनवरी 1988 को घोषित किया जा चुका है। श्रीमती विमला मिश्रा ने अभिनिर्णय की घोषणा के बिभिन्न दिनांको में दिये गये प्रार्थना पत्रों द्वारा उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की प्रार्थना की थी । जिस के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-21.6.89 के विषय सं0-15 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि:-

"बिचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रार्थिनी की प्रार्थना अनुसार 6बीघा 9 विस्वा 15 विस्वांसी भूमि योजना में प्राधिकरण की नीति के अनुसार समायोजित कर ली जायें"

उपरोक्त भूमि के समीप लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डा0 भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के लिए 244.28 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा बाउन्ड्रीवाल एवं भवन आदि का निर्माण कराया जा रहा है। योजना स्थल पर श्रीमती विमला मिश्रा की समायोजित की गई भूमि से विश्वविद्यालय परिसर एवं निर्माण मे व्यवधान उत्पन्न हो गया है क्योकि श्रीमती मिश्रा ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थान स्थान पर कांटेदार तार एवं बल्ली आदि गाड़कर उक्त भूमि को घेर लिया है तथा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिस के कारण विश्वविद्यालय की बाउन्ड्री वाल एवं सड़क का निर्माण कार्य बन्द हो गया है।

<u>स्थल का पुन: निरीक्षण एवं तथ्यो का परीक्षण करने के उपरान्त अर्जन समिति का यह मत है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 21.6.89 के विषय सं0-15 में पारित निर्णय को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-5.4.91 में निरस्त कराने हेतु प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जायें ।</u>

(केO केOउपाध्याय)
सचिव,

(दिनेश राय)
उपाध्यक्ष,

विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु विचारार्थ टिप्पणी:-
:=:

विषय:- कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम हैबतमऊ मवैया में खसरा सं0- 565, 566 एंव 574ख में लगभग 33 बीघा भूमि में से 6 बीघा 9 बिस्वा 15बिस्वांसी समायोजित की गयी भूमि के सम्बन्ध में।
:=:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 21.6.89 के विषय सं0-15 के अन्तर्गत श्रीमती विमला मिश्रा धर्मपत्नी श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा की भूमि स्थित ग्राम हैबतमऊ मवैया के उपरोक्त खसरा नम्बरों की लगभग 33 बीघा भूमि खाते में दर्ज थी। उक्त भूमि का अधिग्रहण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कानपुर रोड एंव नगर विस्तार योजना भाग-4के अन्तर्गत वर्ष 1985 में किया जा चुका है और इस समस्त अधिग्रहीत भूमि का अभिनिर्णय दिनांक: 8जनवरी 1988 को घोषित किया जा चुका है। श्रीमती विमला मिश्रा ने अभिनिर्णय की घोषणा के विभिन्न दिनांकों में दिये गये प्रार्थना-पत्रों द्वारा उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की प्रार्थना की थी। जिसके परिपेक्ष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 21.6.89के विषय सं0- 15द्वारा यह निर्णय लिया गया कि:-

"विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रार्थिनी की प्रार्थना अनुसार 6 बीघा 9 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि योजना में प्राधिकरण की नीति के अनुसार समायोजित कर ली जाये।"

उपरोक्त भूमि के समीप लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के लिए 244.28 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा बाउन्ड्रीवाल एंव भवन आदि का निर्माण कराया जा रहा है। योजना स्थल पर श्रीमती विमला मिश्रा की समायोजित की गई भूमि से विश्वविद्यालय परिसर एंव निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हो गया है क्योंकि श्रीमती मिश्रा ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थान-स्थान पर काटेदार तार एंव बल्ली आदि गाड़ कर उक्त भूमि को घेर लिया है तथा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण विश्वविद्यालय की बाउन्ड्री वाल एंव सड़क का निर्माण कार्य बन्द हो गया है। योजना स्थल पर सड़क का विकास स्थगित हो जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा वाटर मेन, सीवर लाइन एंव विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। अतएव विकास कार्यों के अभाव में विश्वविद्यालय परिसर में गतिरोध उत्पन्न हो जाने से निर्माण/विकास कार्यो पर कुप्रभाव पड़ रहा है एंव कार्य की प्रगति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय का निर्माण को समयावधि के अन्दर पूर्ण कराये जाने की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि उक्त परिसर में चल रहे भूमि सम्बन्धी समस्त विवाद तुरन्त समाप्त कराये जाये..2

ताकि स्थल पर निर्माण/विकास कार्य सुचारू रूप से पूर्ण कराये जा सके।

स्थल का पुनः निरीक्षण एवं तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत अर्जन समिति का यह मत है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 21.6.89 के विषय सं0- 15 में पारित निर्णय को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 5.4.91 में समाप्त कराने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। जहाँ तक स्थल पर स्थित समाधि एवं अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान आदि का प्रश्न है उन्हें योजना के ले आउट में यथा सम्भव समायोजित करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी-अर्जन §मुख्य अभियंता§ § मु0व0नियोजक§ §अपर सचिव§कास्ट§
संयोजक
एका0कम
इको0प्ला.

§ के0 के0 उपाध्याय §
सचिव/अध्यक्ष

दिनांक 20.3.91 को स्कूल भूखण्डों के आवंटन के संबंध में हुई बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1.	श्री दिनेश राय उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	-	अध्यक्ष समिति
2.	श्री के.के. उपाध्याय सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण	-	सदस्य समिति
3.	श्री के.बी. सक्सेना कास्ट एकाउन्टैन्ट एवं इकोनामिक प्लानर लखनऊ विकास प्राधिकरण	-	सदस्य समिति
4.	श्री जे. एस. रावत, पर्यवेक्षक (प्रतिनिधि जिला विद्यालय निरीक्षक)	-	सदस्य समिति
5.	श्री लाल मणि मिश्रा (प्रतिनिधि जिला विद्यालय निरीक्षक)	-	

अन्य उपस्थिति

श्री जी.बी. सिंह,
मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण

स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

(1) ग्रीन बर्ड स्कूल ने गोमती नगर योजना में दो एकड़ भूमि लेने हेतु आवेदन किया है। समिति को अवगत करायागया कि गोमती नगर योजना में आवंटित भूमि उपलब्धं नहीं है । साथही यह स्कूल मान्यता प्राप्त भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया ।

(2) अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ ने आधा एकड़ भूमि गोमती नगर योजना में भूमि तथा स्कूल के निर्माण हेतु मांगी है। उक्त संस्था ने सूचित कियाहै कि संस्था का मुख्य उददेश्य समाज

क्रमशः.....2

को स्वस्थ रखना है । ड्रग एब्यूज़ एवं इल्लीगल बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना एवं समाज द्वारा प्रताड़ित महिलाओं के लिए होम की स्थापना करना है ।

उपरोक्त संस्था सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है तथा दिया गया प्रमाण पत्र दि014.3.94तक वैध मान्य है। चूंकि यह संस्था एक बेसिक शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक कार्य भी करना चाहती है।अत: समिति ने उक्त संस्था को गोमती नगर योजना में आधा एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया ।

।।।। न्यू पब्लिक स्कूल ने कानपुर रोड योजना में 2000व.मी.भूमि की मांग की है। यह स्कूल मान्यता प्राप्त है। सी.ए.टी.पी. ने समिति को बताया कि कक्षा 8 तक के स्कूल के लिए कम से कम एक एकड़ भूमि की आवश्यकता, नियोजन के नार्म्स के अनुसार, होती है।अत: समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कानपुर रोड योजना के सेक्टर"डी-1" में उपलब्ध स्कूल भूखण्ड 3708.52व. मी. का इस स्कूल को आवंटित कर दिया जाय ।

2. समिति को बताया गया कि समिति की बैठक दि027.2.87में ब्राइट वे स्कूल को अलीगंज योजना के सेक्टर"एल" में एक स्कूल भूखण्ड 971.25व.मी.का आवंटित करने का निर्णय लियागया था। समिति के निर्णय के पश्चात आवंटन की सूचना उपरोक्त स्कूल को भेज दी गयी और उसके पश्चात उपरोक्त स्कूल ने 25% धनराशि जमा कर दी । इस स्कूल को आवंटित भूमि से संलग्न ही एक स्कूल भूखण्ड अलीगंज मान्टेसरी स्कूल को आवंटित किया गया था। अगल-बगल दो स्कूल होने के कारण ब्राइट वे स्कूल ने अपना भूखण्ड परिवर्तित करने के संबंध में आवेदन किया था और इस स्कूल के आवेदनपर समिति ने अलीगंज योजना में ही सेक्टर"एम" में एक दूसरा /उपलब्ध स्कूल भूखण्ड, जिसका क्षेत्रफल2019.34व.मी.,आवंटित कर दिया था। तदानुसार उपरोक्त स्कूल को आवंटन की सूचना दी गयी । परन्तु उपरोक्त स्कूल ने सूचित किया कि अतिरिक्त भूमि की मात्रा वहनयी दर से भुगतान

क्रमश:..3

करने के लिए सक्षम नहीं है। अत: उन्हें पूर्व में आवंटित 971.25व.मी. का ही भूखण्ड उपलब्ध करा दिया जाय। इस विषय पर समिति ने विचार किया तथा निर्णय लिया कि दि027.2.87की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अलीगंज योजना के सेक्टर"एम" में ही 971.25व.मी.का एक स्कूल भूखण्ड उक्त स्कूल कोअ आवंटित कर दिया जाय तथा शेष भूमि का नियोजन सी.ए.टी.पी. द्वारा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं हेतु करलिया जाय।

।के.बी.सक्सेना।
कास्ट एकाउन्टैन्ट-एवं इकोनामिक प्लानर
लखनऊ विकास प्राधिकरण
सदस्य -समिति

।जे.एस.रावत।
प्रतिनिधि
जिला विद्यालय निरीक्षक

।लाल मणि मिश्रा।
प्रतिनिधि
जिला विद्यालय निरीक्षक

। के.के.उपाध्याय ।
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
सदस्य - समिति

। दिनेश राय ।
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
अध्यक्ष - समिति

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 05 अप्रैल, 1991 का कार्यवृत्त

-=-=-=-=-

उपस्थिति :

1- श्री रमेश चन्द्र,
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

2- श्री दिनेश राय,
मुख्य नगर अधिकारी एवं
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

3- श्री आर० के० शर्मा,
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
आवास विभाग ।

4- श्रीमती विभा पुरी,
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग ।

5- श्री अशोक प्रियदर्शी,
जिलाधिकारी, लखनऊ ।

6- श्री जे० पी० भार्गव,
मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,
उत्तर प्रदेश ।

7- श्री एन० एस० माथुर,
मुख्य अभियन्ता (मध्य)
उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ ।

8- श्री कमल कान्त जैसवाल,
सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,
उत्तर प्रदेश ।

9- श्री राम शंकर यादव,
सदस्य ।

10- श्री राधा कृष्ण गुप्ता,
सदस्य,

11- श्रीमती मिथलेश कुमारी,
सदस्या,

12- श्री एस०एम० जाफ़र,
महाप्रबन्धक, जल संस्थान,
विशेष आमन्त्री ।

क्रमशः : - - -

अन्य उपस्थिति :
===========

श्री के० के० उपाध्याय,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष महोदय द्वारा नये नामित सदस्यों को प्राधिकरण की बैठक में प्रथम बार सम्मिलित होने पर उनका स्वागत करते हुए माननीय सदस्यों को उनके मनोनयन पर बधाई दी ।

विषय संख्या:01 लखनऊ विकास प्राधिकरण बैठक दिनाँक: 15 दिसम्बर, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 15 दिसम्बर 1990 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित संशोधन सहित की गई:-

विषय संख्या: 21 के अन्तर्गत दिनाँक: 26.11.90 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्णय लिये गये : -

¦अ¦ अपोलो अस्पताल को 10 एकड़ भूमि के आवन्टन से सूचित किया जाय ।

¦ब¦ प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग आंशिक इन्डिस्ट्रियल एवं आंशिक हरित है परन्तु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उपरोक्त तिथि को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार भू-उपयोग के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है फिर भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकतानुसार पत्र आवास सचिव को प्रेषित कर दिया जाय ।

¦स¦ आवन्टित भूखण्ड के क्षेत्रफल एवं अस्पताल की भूमि के लिये निर्धारित मूल्य के आधार पर मूल्य लिया जाय ।

विषय संख्या:02 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 15 दिसम्बर, 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय : अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये : -

1. प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 15.12.90 में प्रियदर्शनी योजना ¦सीतापुर रोड योजना पश्चिम¦ की अर्थ विवेचना विषय सं० 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जिसका अनुपालन प्राधिकरण की वर्तमान बैठक दिनाँक: 5 अप्रैल 1991 में क्रम संख्या: 5 पर प्रस्तुत किया गया था । चूँकि पूर्व बैठक में अर्थ-विवेचना अनुमोदित की गई थी और निर्देश दिये गये थे कि भविष्य में प्राधिकरण के समक्ष रखी जाने वाली समस्त योजनाओं में ई०डब्लू०एस० एवं अन्य आय वर्ग के भवनों का भी पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाया करे । इस संशोधन के साथ पुष्टि की गई ।

2. जनपथ में निर्मित मुख्य भवन के बेसमेन्ट के विक्रय के सम्बन्ध में अप्रैल 1991 में बैठक कर ली जाय ।

क्रमशः : - - -

3. हायर परचेज़ पद्धति के अन्तर्गत आवन्टित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तों का अध्ययन करके एक सप्ताह में अवगत कराया जाय ।

4. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को कानपुर रोड योजना में भवन संख्या ए-1/5 सी के विरूद्ध दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में अनुस्मारक दो वर्ष बाद भेजने हेतु उत्तरदायित्व दिनाँक:30.4.91 तक निर्धारित करके अवगत कराया जाय ।

विषय संख्या:03 गोमती नगर रिंग रोड के दक्षिण की ओर 5.09 एकड़ भूमि का भू-उपयोग ग्रीनबेल्ट से व्यवसायिक किये जाने हेतु परिचालित प्रस्ताव ।

निर्णय : प्रस्ताव परिचालन द्वारा पारित किया जा चुका है । अतः इसका अनुमोदन किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया कि गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में जितनी मात्रा में ग्रीन-बेल्ट का परिवर्तन कराया जाय उसकी प्रतिपूर्ति गोमती नगर योजन में ही अन्य स्थानों पर जिस प्रकार किया जाना प्रस्तावित हो उसका पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या:04 नेहरू इनक्लेव योजना §ग्रुप-हाउसिंग§ के अन्तर्गत यू0को0बैंक से रू0 1200लाख ऋण प्राप्त करने हेतु परिचालित प्रस्ताव ।

निर्णय : प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या:05 लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट, 1991-92 के पारित होने की प्रत्याशा में भुगतान करने की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

निर्णय विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गत वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल-मई में व्यय की गई धनराशि का 10 प्रतिशत अधिक सीमा तक व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा बजट दिनाँक:26 अप्रैल, 91 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

विषय संख्या:06 लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा पेन्शन नियमों में किये गये संशोधन के लागू करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पेन्शन भुगतान के सम्बन्ध में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा किये गये संशोधन को लागू किया जाय तथा शासन को प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने हेतु अनुस्मारक प्रेषित किया जाय ।

क्रमशः - - -

विषय संख्या: 07 जानकीपुरम योजना के सेक्टर "एच" एक्सटेन्शन में §थाना गुडम्बा के पीछे§ प्रस्तावित उच्च, मध्यम, अल्प आय वर्ग के भवनों की योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में योजना की डिज़ाइन तथा पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये तथा इस प्रकार की अपूर्ण आख्या न प्रस्तुत की जाय । साथ ही यह भी अवगत कराया जाय कि विगत वर्षों में कितने पंजीकृत व्यक्ति आवन्टन हेतु अवशेष हैं तथा उनके लिये क्या योजना है ?

विषय संख्या:08 स्कूल भूखण्डों के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मामला शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाय तथा यदि दो माह में शासन से उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो मामला प्राधिकरण के समक्ष पुनः रखा जाय ।

विषय संख्या:09 4-राणा प्रताप मार्ग, हज़रतगंज पर प्रस्तुत होटल मानचित्र के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या:10 गोमती नगर योजना में डा० राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय : उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि दिनाँक:30.03.91 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर बैठक हुई थी जिसमें 20 एकड़ व्यवसायिक भूमि को आवासीय दर की आधी दर पर आवन्टित करने का निर्णय लिया गया है । प्राधिकरण इससे अवगत हुआ तथा निर्देश दिया गया कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय ।

विषय संख्या:11 गोमती नगर योजना में सिविल अस्पताल हेतु भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना में सिविल अस्पताल हेतु 15 एकड़ भूमि आवंटन के समय प्रचलित आवासीय दर की आधी दर पर आवंटित कर दी जाय ।

क्रमशः——

विषय संख्या:12 स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण एवं भारतीय जनसंख्या परियोजना के भवन हेतु 15 एकड़ भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक दर पर, आवन्टन के समय प्रचलित दर के अनुसार, भूमि आवंटित कर दी जाय ।

विषय संख्या:13 लखनऊ विकास प्राधिकरण की पुरानी कामन सीलके स्थान पर नई इनग्रेविंग कामन सील की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या:14 अनाधिकृत रूप से विभाजित अविकसित क्षेत्र के भूखण्डों पर आन्तरिक व वाह्य विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

निर्णय : विचार - विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव [illegible] स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या:15 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मोटर कार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि मामला सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को सन्दर्भित कर दिया जाय तथा उनकी राय के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

विषय संख्या:16 शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड पार्ट-2 के विन्यास मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरांत प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 17 गोमती नगर योजना में आवंटितभूखण्ड संख्या:2/137, विजय खण्ड की जमा अधिक धनराशि पर ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि ब्याज नियमानुसार दिया जाय ।

अनुपूरक विषय संख्या : 01. लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्त्रण कार्यों एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया ।

क्रमशः : - - - - - -

अनु0वि0सं0:02 किराये के भवनों में नाम परिवर्तन, हस्तांतरण व नये आवंटन के मामलों में किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

अनु0विषय संख्या:03 सीतापुर रोड योजना फेज-3 के अभिन्यास चित्र में संशोधन के सम्बन्ध में

निर्णय : प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

अनु0वि0सं0:04 नेहरू इनक्लेव फेज-2 के अभिन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश से राय लेकर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

अनु0वि0सं0:05 गोमती नगर योजना में अपोलो अस्पताल को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन ।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अनु0वि0सं0: 06 टाउन सेन्टर के अभिन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् भू-उपयोग परिवर्तन के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्देश दिया गया कि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाय ।

अनु0वि0सं0: 07 किसानों को मुआवज़ा दिये जाने के सम्बन्ध में जनता दल, उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव ।

निर्णय : प्रस्ताव स्थगित किया गया ।

अनु0वि0सं0:08 कानपुर रोड नगरप्रसार योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम हैबतमऊ मवैया में खसरा सं0565, 566 एवं 574ख में लगभग 33 बीघा भूमि में से 6बीघा 09बिस्वा 15 बिस्वांसी समायोजित की गई भूमि के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव यथावत स्वीकार किया गया । प्रकरण पुनः शासन को प्रस्ताव के अनुसार सन्दर्भित किया जाय ।

ह0/
के0के0 उपाध्याय
सचिव

ह0/
दिनेश राय
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

ह0/
रमेश चन्द्र
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।